[2022] 9 एस. सी. आर. 885

भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओआरएस।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2016 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 419)

16 मार्च, 2022

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

सूर्या कांत और विक्रम नाथ, जे. जे.]

सशस्त्र बलः वन रैंक वन पेंशन-ओ. आर. ओ. पी.

ओ. आर. ओ. पी. का उद्देश्य समय-समय पर वर्तमान और पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन की दर के बीच की खाई को पाटना है, चाहे वह सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। अंतराल-याचिकाकर्ताओं का मामला है कि कार्यान्वयन के दौरान,

ओ. आर. ओ. पी. के सिद्धांत को समान अवधि की सेवा वाले व्यक्तियों के लिए 'एक रैंक एकाधिक पेंशन' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

ओ. आर. ओ. पी. की परिभाषा को यू. ओ. आई. द्वारा बदल दिया गया था और पेंशन की दरों के स्वचालित संशोधन के बजाय, जहां कोई भी भविष्य था। पेंशन की दरों में वृद्धि स्वचालित रूप से

अतीत के पेंशनभोगियों के लिए, संशोधन अब आवधिक अंतराल पर होगा, मनमाना और असंवैधानिक है-माना जाता हैः ओ. आर. ओ. पी. सिद्धांत में कोई संवैधानिक दुर्बलता नहीं है जैसा कि दिनांक 07.11.2015 द्वारा परिभाषित किया गया है-ओ. आर. ओ. पी. की परिभाषा सभी पेंशनभोगियों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। 2014 के बाद, अंतिम प्राप्त वेतन का उपयोग पेंशन की गणना के लिए किया जाता है, उन लोगों के लिए जो 2013 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, 2013 में प्राप्त औसत वेतन का उपयोग किया जाता है-चूंकि पेंशन की गणना के उद्देश्य से अंतिम प्राप्त वेतन के समान आवेदन से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को नुकसान होगा, इसलिए केंद्र सरकार ने पेंशन की गणना के लिए आधार वेतन बढ़ाने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया है-ऐसा निर्णय नीतिगत विकल्पों के दायरे में आता है-केंद्र सरकार की ओर से कोई सचेत नीतिगत निर्णय नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ओ. आर. ओ. पी. को लागू करने के लिए तौर-तरीके जब तक कि दिनांक 07.11.2015 अस्तित्व में नहीं आया, और इस प्रकार, 07.11.2015 के संचार को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता है कि यह ओ. आर. ओ. पी. की 'मूल समझ' का उल्लंघन करता है-अभिव्यक्ति स्वचालित रूप से पारित हो जाती है 'को लाभों की गणना के लिए किसी भी अवधि के संदर्भ में प्रतिबद्धता के रूप में नहीं माना जा सकता है-केंद्र सरकार का हर पांच साल में पेंशन को संशोधित करने का निर्णय नहीं हो सकता है।

कला के अंतर्निहित उपदेशों का उल्लंघन करने के लिए अभिनिर्धारित किया जाए। 14 - नीतिगत निर्णय-भारत का संविधान-कला। 14 , 32- सेवा कानून।

पेंशन वन रैंक वन पेंशन-ओ. आर. ओ. पी.-वैध अपेक्षा आह्वान-आयोजितः वैध सिद्धांत

अपेक्षाओं का आह्वान किया जा सकता है यदि किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वे एक महत्वपूर्ण लाभ के प्राप्तकर्ता होंगे-वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत कला के एक पहलू के रूप में उभरता है। 14 - हालाँकि, वर्तमान मामले में, 07.11.2015 से पहले कोई ठोस सरकारी नीति मौजूद नहीं थी-वहाँ

केवल कुछ आश्वासन मौजूद थे-ये आश्वासन इस प्रभाव के लिए भी थे कि ओ. आर. ओ. पी. को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है-कार्यान्वयन पर काम किया जाना बाकी था।

पेंशन-एक पद एक पेंशन-की अवधारणा और उत्पत्ति

- नीति और सिद्धांत-चर्चा की गई।

प्रशासनिक कानूनः नीतिगत निर्णय न्यायिक समीक्षा का दायरा-आयोजितः निर्णय नीति के विकल्प के रूप में काम नहीं कर सकता-नीति के अधिकांश प्रश्नों में न केवल तकनीकी और आर्थिक कारकों के जटिल विचार शामिल होते हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए लोकतांत्रिक सुलह की आवश्यकता होती है।

न्यायनिर्णयन सर्वोत्तम उपाय है-विशुद्ध नीति के मामलों को हल करने के लिए न्यायाधीशों पर बढ़ती निर्भरता सामाजिक और राजनीतिक नीति के विवादित मुद्दों को हल करने में अन्य राजनीतिक अंगों की भूमिका को कम कर देती है, जिसके लिए एक लोकतांत्रिक बातचीत की आवश्यकता होती है-ऐसा नहीं है कि यह न्यायालय संवैधानिक अधिकारों को बाधित करने वाली नीतियों को दरकिनार करने से कतराता है-बल्कि यह उस कार्य की स्पष्ट दृष्टि प्रदान करने के लिए है जो एक अदालत लोकतंत्र में करती है-एक रैंक एक पेंशन-ओ. आर. ओ. पी.

अपने आप में नीति की बात है और यह नीति निर्माताओं के लिए कार्यान्वयन की शर्तों को निर्धारित करने के लिए खुला था-नीति निश्चित रूप से है

संवैधानिक मापदंडों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन, जो एक अलग मुद्दा है।

भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

नीतिगत विकल्प; (iii) जबकि कोई कानूनी या संवैधानिक अधिदेश नहीं ओ. आर. ओ. पी. को नकारा के मामले और एस. पी. एस. वेन्स के मामले में निर्णयों में पढ़ा जा सकता है, 1 जुलाई 2014 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त होने वाले एक ही रैंक के अधिकारियों को देय अलग-अलग पेंशन या तो एम. ए. सी. पी. या पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग-अलग आधार वेतन के कारण मनमाना नहीं माना जा सकता है; और (iv) चूंकि ओ. आर. ओ. पी. की परिभाषा मनमाना नहीं है, इसलिए यह निर्धारित करने की कवायद करना आवश्यक नहीं है कि योजना का वित्तीय प्रभाव नगण्य है या भारी है। यह न्यायालय तदनुसार आदेश देता है और निर्देश देता है कि

7 नवंबर 2015 की संसूचना की शर्तों के अनुसार, पांच साल की समाप्ति पर 1 जुलाई 2019 से एक पुनर्निर्धारण अभ्यास किया जाएगा। सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को देय बकाया

बलों की गणना की जाएगी और तीन महीने की अवधि के भीतर तदनुसार भुगतान किया जाएगा। [पैरा 49 और 51] [942-डी-एच; 943-ए-सी, ई] 2.1 7 नवंबर 2015 के नीतिगत संचार की विशेषताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले, इसमें [2022] 9 एस. सी. आर. का निर्णय शामिल है।

भारत सरकार पूर्व सैनिकों के लिए ओ. आर. ओ. पी. लागू करेगी। दूसरा, यह उस तारीख को निर्दिष्ट करता है जिससे निर्णय लिया जाता है।

इसे 1 जुलाई 2014 को लागू किया जाएगा। तीसरा, यह इस समझ का प्रतीक है कि ओ. आर. ओ. पी. का तात्पर्य सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना समान अवधि की सेवा के साथ समान रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मियों को समान पेंशन का भुगतान करना है। चौथा, यह "आवधिक अंतराल" पर वर्तमान और पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन दरों के बीच की खाई को पाटने की आवश्यकता पर जोर देता है। अंतर्निहित दस्तावेज़ के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि ओ. आर. ओ. पी. को लागू करने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया गया था, लेकिन कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीके अभी तक तैयार नहीं किए गए थे। संघ की ओर से कोई सचेत नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया था

ओ. आर. ओ. पी. को लागू करने के तौर-तरीकों पर सरकार 7 नवंबर 2015 की सूचना के अस्तित्व में आने तक विचार कर रही थी। 7 नवंबर 2015 के संचार को अमान्य नहीं किया जा सकता है।

यह आधार कि यह ओ. आर. ओ. पी. की 'मूल समझ' का उल्लंघन करता है। कानून में कानूनों और नियमों के बीच एक पदानुक्रम मौजूद है-एक वैधानिक प्रावधान को प्रत्यायोजित कानून पर प्राथमिकता दी जाएगी यदि बाद वाला पहले वाले के साथ संघर्ष करता है। इसी तरह, कार्यकारी निर्देश किसी क़ानून या क़ानून के अनुसरण में बनाए गए नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान मामले में पूरा कैनवास एक नीति द्वारा नियंत्रित होता है। नीति को लागू करने की शर्तें 7 पर निर्दिष्ट की गई थीं।

नवंबर 2015। इसलिए, नीति के उस तत्व को इस धारणा पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि ओ. आर. ओ. पी. की एक अपरिवर्तनीय धारणा है।

एक मूल समझ में उलझा हुआ। ओ. आर. ओ. पी. अपने आप में नीति का विषय है और यह नीति निर्माताओं के लिए कार्यान्वयन की शर्तों को निर्धारित करने के लिए खुला था। यह नीति निश्चित रूप से संवैधानिक मापदंडों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जो एक अलग मुद्दा है। [पैरा 23 और 25] [917-ई-एफ; 918-ई-एच; 919-ए]

1.3 . याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुत करने का केंद्रीय अंग है

कि ओ. आर. ओ. पी. का संशोधन स्वतः होना चाहिए। केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है कि किसी भी पूर्व की कमी के अलावा

उदाहरण के लिए, सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, पेंशन और अन्य वित्तीय परिलब्धियों को नियंत्रित करने वाले अभ्यास के संदर्भ में, स्वचालित संशोधन को लागू करना असंभव होगा। उपरोक्त विचार के अलावा, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन तीन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे हैं (i) कोश्यारी भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

समिति की रिपोर्ट; (ii) 26 फरवरी 2014 को रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवृत्त; और (iii) 26 फरवरी 2014 को सी. जी. डी. ए. को भेजे गए पत्र में इस बात को रेखांकित किया गया है कि भविष्य में पेंशन की दरों में कोई भी वृद्धि की जाए। स्वचालित रूप से पिछले पेंशनभोगियों के पास चला गया। "स्वचालित रूप से पारित किया जाना" अभिव्यक्ति तुरंत "पेंशन की दरों में भविष्य में कोई वृद्धि" शब्दों का अनुसरण करती है। जब प्रासंगिक रूप से एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह दर्शाता है कि पेंशन की दरें बिना किसी प्रशासनिक बाधाओं के पिछले पेंशनभोगियों को दी जाएंगी। स्वतः पारित अभिव्यक्ति 'को लाभों की गणना के लिए किसी भी अवधि के संदर्भ में प्रतिबद्धता के रूप में नहीं माना जा सकता है। पेंशन, वेतन और अन्य वित्तीय लाभों में किस तरह और किस अवधि में संशोधन किया जाना चाहिए, यह विशुद्ध रूप से नीति का सवाल है।

हर पाँच साल में पेंशन में संशोधन करने के केंद्र सरकार के निर्णय को अनुच्छेद 14 के अंतर्निहित नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। [पैरा 37] [931-ई-एच; 932-ए] 1.4 . नकारा में तथ्यात्मक मैट्रिक्स के विपरीत, जहां उदारीकृत पेंशन योजना कर्मचारियों पर लागू नहीं की गई थी

जो कट-ऑफ तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, इस मामले में ओ. आर. ओ. पी. सिद्धांत सभी सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों पर लागू होता है, चाहे सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। कटौती की तारीख केवल पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार वेतन को निर्धारित करने के लिए निर्धारित की गई है। जबकि 2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए, अंतिम प्राप्त वेतन का उपयोग पेंशन की गणना के लिए किया जाता है; 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों के लिए, 2013 में प्राप्त वेतन का औसत उपयोग किया जाता है। यह नीति केवल उन लोगों की सुरक्षा करना चाहती है जो 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।

पूर्व सेवानिवृत्त लोगों का अंतिम वेतन बहुत कम हो सकता है और 2014 के सेवानिवृत्त लोगों के वेतन के लिए अतुलनीय। इसके अलावा, यदि प्राप्त अधिकतम वेतन का उपयोग औसत वेतन लेने के बजाय आधार मूल्य के रूप में किया जाना है, तो 1,45 रुपये का अतिरिक्त परिव्यय, 339.34

करोड़ खर्च होंगे। इसलिए कार्यपालिका वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारित करने के लिए अपनी सीमा के भीतर है। प्रभाव। [पैरा 40] [934-डी-जी]

डी. एस. नकारा बनाम। भारत संघ 1983 (2) एस. सी. आर. 165:

1983 (1) एससीसी 305-विशिष्ट।

1.5 संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इन कार्यवाही में जिस कैनवास को पार करने की मांग की गई है, वह [2022] 9 एस. सी. आर.

एक क्षेत्र जो कार्यकारी नीति के लिए आरक्षित है। निर्णय

नीति के विकल्प के रूप में काम नहीं कर सकते। नीति के अधिकांश प्रश्नों में न केवल तकनीकी और जटिल विचार शामिल हैं। आर्थिक कारक लेकिन प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने की भी आवश्यकता होती है जिसके लिए निर्णय लेने के बजाय लोकतांत्रिक सुलह की आवश्यकता होती है।

सबसे अच्छा उपाय। इसके अलावा, विशुद्ध नीति के मामलों को हल करने के लिए न्यायाधीशों पर बढ़ती निर्भरता सामाजिक और राजनीतिक नीति के विवादित मुद्दों को हल करने में अन्य राजनीतिक अंगों की भूमिका को कम करती है, जिसके लिए एक लोकतांत्रिक बातचीत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह न्यायालय उन नीतियों को दरकिनार करने से हिचकिचाएगा जो इस पर प्रभाव डालती हैं।

संवैधानिक अधिकार। बल्कि यह उस कार्य की एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करने के लिए है जो एक अदालत लोकतंत्र में करती है। ओ. आर. ओ. पी. नीति को केवल इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना या मनमौजी है। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का मूल्यांकन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई ओ. आर. ओ. पी. की नीति इस प्रकार निर्धारित करती हैः (i) लाभ 1 जुलाई 2014 से प्रभावी होंगे; (ii) पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन के आधार पर फिर से तय की जाएगी; (iii) सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन सुरक्षित होगी; और (iv) भविष्य में, पेंशन को बाद में फिर से तय किया जाएगा।

हर पाँच साल में। [पारस 46 और 47] [940-एच; 941-ए, सी-डी]

1.6 पेंशन और कट-ऑफ तिथियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः (i) सभी पेंशनभोगी जिनके पास समान पेंशन है।

(उपर्युक्त) की व्याख्या एक श्रेणी एक पेंशन नियम को पढ़ने के लिए नहीं की जा सकती है। यह केवल यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पेंशन की गणना का वही सिद्धांत एक समान वर्ग के लिए समान रूप से लागू किया जाना चाहिए; और (iv) यह एक कानूनी आदेश नहीं है कि समान रैंक रखने वाले पेंशनभोगियों को समान राशि की पेंशन दी जानी चाहिए। अलग-अलग लाभ जो कुछ कर्मियों पर लागू हो सकते हैं जो देय पेंशन को भी प्रभावित करेंगे, उन्हें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कर्मचारियों के साथ। [पैरा 48] [941-जी; 942-ए-सी] भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओआरएस।

वी. यूनियन इंडिया एंड ओआरएस।

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ (2018) 7 एससीसी 1:

[2018] 4 एस. सी. आर. 1 का अनुसरण किया गया।

भारत संघ बनाम। एसपीएस वेन्स [2008] 13 एस. सी. आर. 257: 2008

(9) एससीसी 125-विशिष्ट।

अरुणाचल प्रदेश राज्य बनाम। नेज़ोन लॉ हाउस (2008)

5 एससीसी 609: [2008] 5 एस. सी. आर. 948; कर्नल बी. जे. अक्कारा (सेवानिवृत्त)

वी. भारत सरकार (2006) 11 एससीसी 709: [2006]

7 पूरक। एस. सी. आर. 58; इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग बनाम। संघ

राठी वी. भारत संघ एस. एल. जे. 1997 (30 207); सुचेत सिंह यादव बनाम। भारत संघ (2019) 11 एससीसी 520:

[2018] 2 एस. सी. आर. 752; झारखंड राज्य बनाम। ब्रह्मपुत्र

मेटालिक्स लिमिटेड, रांची 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 968;

भारत संघ बनाम। सुखबीर सिंह टर्न (2018) 11 एस. सी. सी. 99

: [2017] 12 एस. सी. आर. 421 संदर्भित है।

फुलर, एल. एल., और विंस्टन, के. आई. (1978)। रूप और

निर्णय की सीमाएँ। हार्वर्ड लॉ रिव्यू, 92 (2), 353 -

409 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2008] 13 एससीआर 257

प्रतिष्ठित

पै

रा 49

[1983] 2 एससीआर 165

पै

रा 40,

प्रतिष्ठित

[1991] 1 एससीआर 158

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[2018] 2 एससीआर 752

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[2018] 4 एससीआर 1

पीछा किया।

पै

रा 17

[2008] 5 एससीआर 948

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[2017] 12 एससीआर 421

पै

रा 33

संदर्भित किया गया है

[2006] 7 पूरक। एससीआर 58

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

2016 से।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , बालाजी श्रीनिवासन, अरुणव मुखर्जी

सुश्री गरिमा जैन, रोहन शर्मा, सुश्री पल्लवी सेनगुप्ता, सुश्री लक्ष राव, सुश्री आकृति प्रिया, मो. शाहरुख, प्रतीक यादव, सुहैल अहान एडवस। याचिकाकर्ताओं के लिए।

एन. वेंकटरमण, एएसजी, सुश्री प्रियंका दास, अक्षय अमृतंस

अपूर्व कुरुप, रजत नायर, अंकुर तलवार, श्याम गोपाल, सुश्री चिनमा [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चंद्रा, ए. के. शर्मा, मुकेश कुमार मारोरिया, राज बहादुर यादव, वी. चंद्रसेकरा भारती, एस. राम नारायण, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को निम्नलिखित धाराओं में विभाजित किया गया है -

विश्लेषण को सुविधाजनक बनानाः

A. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

..... 3 *

B. वकील की प्रस्तुतियाँ

11 *

ग. विश्लेषण

24 *

ग. ओ. आर. ओ. पी. की अवधारणा और उत्पत्ति। ... .

26 *

सी. 2. भेदभाव की याचिका

. 38 *

... ..44 *

सी. 2 एसीपी-एमएसीपी।

C. 2.2 वित्तीय प्रभाव

..46 *

. ... 48 *

ग. 2.3 औसत से अधिकतम।

C. 2.4 हर पाँच साल में आवधिक संशोधन

..49 *

A. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में कहा गया है कि

जिस तरह से रक्षा बलों के पूर्व सैनिकों के लिए "एक रैंक एक पेंशन" नीति को पहले प्रतिवादी 2 द्वारा 7 नवंबर 2015 को प्रमुखों को जारी एक पत्र के माध्यम से लागू किया गया है, उसे चुनौती दी गई है।

तीन रक्षा बल। पत्र में ओ. आर. ओ. पी. को समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र सेवा कर्मियों को समान पेंशन के भुगतान के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। पत्र के संदर्भ में ओ. आर. ओ. पी. का उद्देश्य समय-समय पर वर्तमान और पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन की दर के बीच की खाई को पाटना है। द. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कार्यान्वयन के दौरान, ओ. आर. ओ. पी. के सिद्धांत को समान अवधि की सेवा वाले व्यक्तियों के लिए 'वन रैंक मल्टीपल पेंशन' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ओ. आर. ओ. पी. की प्रारंभिक परिभाषा को पहले प्रतिवादी द्वारा बदल दिया गया था और पेंशन की दरों में स्वतः संशोधन के बजाय अब संशोधन किया जाएगा।

1 " ओआरओपी "

2 "केंद्र सरकार" के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान दें: पृष्ठांकन मूल न्यायनिर्णायक अनुसार है।

भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आवधिक अंतराल पर होता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पेंशन की दरों के स्वचालित संशोधन के सिद्धांत से विचलन, जहां भविष्य में पेंशन की दरों में कोई भी वृद्धि स्वचालित रूप से पिछले पेंशनभोगियों को दी जाती है, अनुच्छेद 14 के तहत मनमाना और असंवैधानिक है

और संविधान के 21.

2. कार्यवाही को जन्म देने वाले मुख्य तथ्यों को बताए जाने की आवश्यकता है। रक्षा बलों के पूर्व सैनिकों द्वारा ओ. आर. ओ. पी. की मांग की गई थी

शुरुआत में संसद द्वारा 2010-11 में जांच की गई। 19 दिसंबर 2011 को, याचिका 3 पर राज्यसभा समिति ने सशस्त्र बलों के कार्मिकों को ओ. आर. ओ. पी. प्रदान करने के लिए याचिका पर अपनी 142 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने ओ. आर. ओ. पी. को लागू करने की सिफारिश की। समिति ने ओ. आर. ओ. पी. को एक समान पेंशन के रूप में परिभाषित किया है जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को दी जाती है, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो, जहां भविष्य में पेंशन की दरों में कोई भी वृद्धि स्वचालित रूप से पूर्व पेंशनभोगियों को दी जानी थी। समिति ने उल्लेख किया कि ओ. आर. ओ. पी. 1973 तक लागू किया जा रहा था जब तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया। कोश्यारी समिति की प्रासंगिक टिप्पणियाँ/सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

" 11. समिति इस तथ्य पर ध्यान देती है कि यदि देश भर में सभी रक्षा कर्मियों के लिए ओ. आर. ओ. पी. पूरी तरह से लागू किया जाता है तो वर्ष के लिए कुल वित्तीय देयता 1300 करोड़ रुपये है। समिति को सूचित किया जाता है कि

इससे 1065 करोड़ रुपये अधिकारी रैंक से नीचे के पद (पी. बी. ओ. आर.) से संबंधित सेवानिवृत्त लोगों को मिलेंगे जबकि कमीशन प्राप्त अधिकारियों को शेष यानी 235 करोड़ रुपये मिलेंगे। समिति का मानना है कि देश के सशस्त्र बलों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए हमारे आकार और अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए 1300 करोड़ रुपये की राशि बहुत बड़ी राशि नहीं है।

देश। समिति समझती है कि यह 1300 करोड़ रुपये एक वर्ष का खर्च है जो सालाना 10 प्रतिशत की दर से बढ़ सकता है। भले ही ऐसा हो, समिति विचार नहीं करती है यह राशि उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिक होगी जिसके लिए इसे खर्च किया जाएगा। समिति को यहां यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने से पहले हमारे रक्षा कर्मियों को पूरी तरह से अलग मानदंडों पर उनकी पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिल रही थी। की सिफारिशों तक

3 " कोश्यारी समिति "

4 " कोश्यारी समिति की रिपोर्ट "[2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

देश के रक्षा कर्मियों के लिए तीसरा केंद्रीय वेतन आयोग लागू किया गया था, वे अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिए दिए गए प्रावधान से संतुष्ट और खुश थे।

बाधाओं को प्रशासनिक, कानूनी और वित्तीय में वर्गीकृत किया। समिति वित्तीय पहलू पर पहले ही विचार कर चुकी है। जहाँ तक प्रशासनिक दृष्टिकोण का संबंध है, समिति को यह समझने के लिए दिया गया है कि सभी मौजूदा पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी अभी भी अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

कानूनी रूप से निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर। उस स्थिति में, उनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन, संभावित रूप से, एक बार के उपाय के रूप में, कोई प्रशासनिक बाधा पैदा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कानूनी पहलू का संबंध है, समिति ओ. आर. ओ. पी. के कार्यान्वयन के खिलाफ दिए गए तर्क से आश्वस्त नहीं है।

क्योंकि पेंशन/पारिवारिक पेंशन सेवा के दौरान कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सेवा पर आधारित है और दो अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवाओं की तुलना बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं लगती है। यदि एक सख्त कोण से देखा जाए, तो अवधि के प्रत्येक समूह में, सेना अधिकारी ने अपने पद से जुड़े कर्तव्यों का पालन किया और यह अनुमान लगाना उचित नहीं हो सकता है कि बाद की अवधि में सेवा करने वाले अधिकारियों ने पहले की अवधि के अधिकारियों की तुलना में अधिक प्रदर्शन किया। उस पर इसके विपरीत, तथ्य पिछले पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के साथ हाल के लोगों के समान व्यवहार करने की ओर झुकते हैं। भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओआरएस।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

3. 17 फरवरी 2014 को वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया है

ओ. आर. ओ. पी. और इसे वित्तीय वर्ष 2014-15 से संभावित रूप से लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा पेंशन खाते में 500 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। बजटीय व्यय। 26 फरवरी 2014 को रक्षा मंत्री ने ओआरओपी के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। द डिफेंस

सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव, रक्षा लेखा महानियंत्रक 5, तीन उप-प्रमुख और संबंधित संयुक्त सचिवों के साथ सेवा मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के कार्यवृत्त में ओ. आर. ओ. पी. को एक समान पेंशन के रूप में संदर्भित किया गया है जिसका भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है जो समान अवधि की सेवा के साथ एक ही पद पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, चाहे सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो, जहां भविष्य में पेंशन की दरों में कोई भी वृद्धि स्वचालित रूप से पिछले पेंशनभोगियों को दी जानी है। चौथे प्रतिवादी, सी. जी. डी. ए. को ओ. आर. ओ. पी. को लागू करने के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।

तीन रक्षा बलों और पहले और दूसरे उत्तरदाताओं के परामर्श से।

4. 26 फरवरी 2014 के अपने पत्र द्वारा प्रथम प्रतिवादी ने सी. जी. डी. ए. को ओ. आर. ओ. पी. को निष्पादित करने के तौर-तरीकों पर काम करने का निर्देश दिया। हालांकि, ओ. आर. ओ. पी.

उस समय इसे लागू नहीं किया गया था। 10 जुलाई 2014 को वर्ष के लिए अपने बजट भाषण 2014-2015 में, वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की इस बात की पुष्टि की कि ओ. आर. ओ. पी. को लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और आगे की राशि

इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1000 करोड़ रुपये अलग रखे गए थे। 2 दिसंबर 2014 को एक संसद सदस्य को एक लिखित उत्तर में, रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि ओ. आर. ओ. पी. का तात्पर्य है कि एक समान पेंशन का भुगतान किया जाता है।

समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक वाले सेवानिवृत्त सैनिक, सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना, भविष्य में दरों में कोई भी वृद्धि स्वचालित रूप से पिछले पेंशनभोगियों को दी जा रही है। 5. याचिकाकर्ताओं द्वारा घटनाओं के उपरोक्त क्रम पर इस बात पर जोर दिया गया है कि ओ. आर. ओ. पी. में हमेशा पूर्व और वर्तमान पेंशनभोगियों द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन में अंतर को पाटने के लिए पेंशन की दरों में स्वचालित संशोधन किया जाता है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, तीन रक्षा बलों के प्रमुखों को पहले प्रतिवादी के संयुक्त सचिव के 7 नवंबर 2015 के एक पत्र ने ओ. आर. ओ. पी. की एक संशोधित परिभाषा पेश की, जिसमें पेंशन की पिछली और वर्तमान दरों के बीच संशोधन समय-समय पर किया जाना था। यह कहने के अलावा कि ओ. आर. ओ. पी

1 जुलाई 2014 से प्रभावी हुए इस पत्र में मुख्य विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला गया है

ओ. आर. ओ. पी.:

" 3. ओ. आर. ओ. पी. की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: आई. शुरुआत में, पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन के आधार पर फिर से तय की जाएगी और

लाभ 1.7.2014 से प्रभावी होगा।

iv. बकाया राशि का भुगतान चार बराबर छमाही किश्तों में किया जाएगा। हालांकि, विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशनभोगी बकाया राशि का भुगतान एक किश्त में किया जाएगा।

वी. भविष्य में हर 5 साल में पेंशन फिर से तय की जाएगी।

6. ओ. आर. ओ. पी. की उपरोक्त परिभाषा को 14 तारीख की अधिसूचना द्वारा ओ. आर. ओ. पी. को लागू करते समय प्रथम प्रतिवादी द्वारा भी अपनाया गया था। नवंबर 2015। पेंशन की दरों को अब हर साल संशोधित किया जाना था।

पाँच साल। अधिसूचना में न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है जो इस पर जांच करेगी और सिफारिशें करेगी।

7 नवंबर 2015 के पत्र के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को दूर करने के उपायों पर केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त संदर्भ की शर्तें।

7. 25 जनवरी 2016 को रक्षा मंत्री को लिखे अपने पत्र में पहले याचिकाकर्ता ने ओ. आर. ओ. पी. की परिभाषा में संशोधन पर आपत्ति जताई।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि पेंशन की दरों के स्वचालित संशोधन से समय-समय पर संशोधन में विचलन ने ओ. आर. ओ. पी. के स्वीकृत अर्थ को बदल दिया। यह प्रस्तुत किया गया था कि संशोधित परिभाषा पिछले पेंशनभोगियों को समान मौद्रिक लाभों से वंचित कर देगी, जो ओ. आर. ओ. पी. के सिद्धांत के खिलाफ है। पत्र में आग्रह किया गया है कि न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति ओ. आर. ओ. पी. के मुद्दे पर सिफारिशें करने में 'अक्षम' होगी क्योंकि संदर्भ की शर्तों ने ओ. आर. ओ. पी. की संशोधित परिभाषा को ध्यान में रखा है। पत्र में रक्षा मंत्री से ओ. आर. ओ. पी. की मूल परिभाषा पर लौटने का आग्रह किया गया है, जहां पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन को भविष्य में किसी भी वृद्धि के अनुसार स्वचालित रूप से संशोधित किया जाएगा। पहले याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट एंड ओआरएस को भी लिखा।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

8. इस बीच, प्रथम प्रतिवादी ने ओ. आर. ओ. पी. के कार्यान्वयन के संबंध में 3 फरवरी 2016 को तीनों रक्षा बलों के प्रमुखों को एक पत्र जारी किया। 29 अक्टूबर 2016 को, पहले प्रतिवादी ने 2016 से पहले की पेंशन में संशोधन करते हुए तीन रक्षा बलों के प्रमुखों को एक पत्र जारी किया। रक्षा बलों के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी। 31 दिसंबर 2015 को प्राप्त मूल पेंशन को 2.57 के गुणन कारक द्वारा लागू करके मौजूदा पेंशन को ऊपर की ओर संशोधित किया जाना था। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि संशोधित परिभाषा के अनुसार पेंशन दर के आवधिक संशोधन के कारण, कई पूर्व सैनिकों की पेंशन को 31 दिसंबर 2015 के स्तर तक अद्यतन नहीं किया जाएगा।

9. कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की कार्योत्तर मंजूरी

ओ. आर. ओ. पी. 6 अप्रैल 2016 को प्राप्त हुआ था और 7 अप्रैल 2016 को कैबिनेट सचिवालय द्वारा सूचित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव इस प्रकार हैः

9.1. 1 यह लाभ 1 जुलाई, 2014 से दिया जाएगा। 9.1. 2 समान रैंक में और सेवा की समान अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व 01.07.2014 पेंशनभोगियों के लिए पेंशन फिर से तय की जाएगी।

सेवानिवृत्त व्यक्तियों द्वारा प्राप्त औसत न्यूनतम और अधिकतम पेंशन

वर्ष 2013। औसत से अधिक पेंशन प्राप्त करने वालों को होगा

संरक्षित। 9.1. 3 यह लाभ पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी दिया जाएगा।

युद्ध विधवाओं और विकलांग पेंशनभोगियों सहित। 9.1. 4 कर्मचारी जो अब से छुट्टी पाने का विकल्प चुनते हैं

नियम 13 (3) 1 (i) (b), नियम 13 (3) 1 (iv) या नियम के तहत स्वयं का अनुरोध

16 सेना नियम 1954 का बी या समकक्ष नौसेना या वायु सेना

नियम ओ. आर. ओ. पी. के लाभों के हकदार नहीं होंगे। यह होगा।

संभावित रूप से प्रभावी।

9.1. 5 . बकाया राशि का भुगतान चार छमाही किश्तों में किया जाएगा।

हालांकि, प्राप्तकर्ताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशनभोगी विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन और वीरता पुरस्कार विजेता

बकाया राशि का भुगतान एक किश्त में किया जाएगा।

9.1. 6 भविष्य में हर 5 साल में पेंशन फिर से तय की जाएगी।

9.1. 7 . न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी, सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में न्यायिक समिति का गठन। 14.12.2015 पर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो संदर्भों पर छह महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे भारत सरकार द्वारा बनाया गया। "

10. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ओ. आर. ओ. पी. में संशोधन से व्यथित होकर, अनुच्छेद 32 के तहत याचिका 9 जून 2016 को अदालत के समक्ष दायर की गई थी। 1 मई 2019 को, इस न्यायालय ने इस पर ध्यान दिया

याचिकाकर्ताओं की ओर से जिन बातों पर प्रकाश डाला गया थाः

" वित्तीय वर्ष के बजाय कैलेंडर वर्ष 2013 के अनुसार पेंशन का निर्धारण 2014 : कैलेंडर वर्ष 2013 के अनुसार पेंशन के निर्धारण के परिणामस्वरूप पूर्व सेवानिवृत्त (2014 से पहले) लोगों को एक वेतन वृद्धि की कम पेंशन मिलेगी।

2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सैनिक से अधिक।

इसके अलावा, इस तरह के कार्यान्वयन के कारण, 31 दिसंबर 2013 से पहले थके हुए एक उच्च रैंक के नायक सैनिक को कम पेंशन मिलेगी। आर. एस. 7170 1 जनवरी 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले एक कनिष्ठ रैंक के सिपाही की तुलना में उनकी पेंशन Rs.7605 होगी। इस तथ्य को एक सारणीबद्ध चार्ट द्वारा चित्रित किया गया है जो संलग्न है। (पेज. 1, सी. सी. देखें)।

इसलिए, ओ. आर. ओ. पी. की इस नई परिभाषा का कार्यान्वयन एक ही अधिकारी वर्ग के भीतर एक वर्ग का निर्माण करके ओ. पी. ओ. पी. के सिद्धांत को विफल कर देता है, जो व्यवहार में एक रैंक की अलग-अलग पेंशन के बराबर है। यह भी इस निर्णय के विपरीत है।

भारत संघ बनाम एस. पी. एस. वेन्स, (2008) 9 एस. सी. सी. 125 में माननीय न्यायालय।

ओ. आर. ओ. पी. की नई परिभाषा में एक और भ्रांति जो ओ. आर. ओ. पी. के सिद्धांत से अलग है, वह हैः

[एक पूर्व सेवा आंदोलन और ओआरएस। वी. यूनियन ऑफ डी. आई. ए. एंड ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((iii) हर पाँच साल में पेंशन समानीकरण।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि हर पांच साल में पेंशन बराबरी होगी।

इसके परिणामस्वरूप पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को गंभीर नुकसान होता है।

इस न्यायालय ने प्रथम प्रतिवादी को शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया। आदेश के अनुसार, पहला प्रतिवादी

5 दिसंबर 2019 को एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि इसके बाद

संघ के विशेषज्ञों और पूर्व सैनिकों के साथ व्यापक परामर्श

सरकार ने निर्णय लिया कि संशोधन करना व्यावहारिक और व्यवहार्य है

ओ. आर. ओ. पी. के तहत हर पाँच साल में पेंशन मिलती है। का औसत

वर्ष 2013 में न्यूनतम और अधिकतम पेंशन तय की गई थी।

समान पद पर और समान अवधि की सेवा के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सभी पेंशनभोगियों की संशोधित पेंशन के रूप में लिया जाएगा। साथ ही,

पहले उत्तरदाता ने पेंशनभोगियों की सुरक्षा के लिए चुना जो थे

औसत से अधिक पेंशन प्राप्त करना। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि

ओ. आर. ओ. पी. के कार्यान्वयन से पिछले पेंशनभोगियों को लाभ हुआ है।

हालाँकि वित्तीय लाभ की राशि अलग-अलग होती है। यह आग्रह किया गया था कि

पेंशन की दर को संशोधित करने वाले पहले प्रतिवादी की ओर से

हर साल प्रशासनिक कठिनाई का कारण बनता है और

लागू करना अव्यवहारिक है।

11 चूंकि याचिकाकर्ताओं की शिकायत का समाधान नहीं किया गया था, इसलिए इस न्यायालय को यह निर्णय लेना है कि क्या आरओपी परिभाषा का संशोधन और वर्तमान रूप में इसका कार्यान्वयन मनमाना है और

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21। इससे पहले कि हम विश्लेषण करें

इन विवादों के बावजूद, हम वकील की प्रस्तुतियों का विज्ञापन करते हैं।

B. वकील की प्रस्तुतियाँ

12. श्री हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ वकील, की ओर से पेश हुए

ओनर्स। की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैंकार्यवाहियों के दौरानः

(i) प्रथम के संयुक्त सचिव द्वारा जारी पत्र

7 नवंबर 2015 को वायु सेना प्रमुख को प्रतिवादी ओ. आर. ओ. पी. 6 की परिभाषा को मनमाने ढंग से बदलते हुए वर्तमान और पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन दरों के बीच के अंतर को 'आवधिक अंतराल' पर कम किया जाता है न कि 'स्वचालित रूप से'। यह परिभाषा में आई परिभाषा के विपरीत है

26 फरवरी 2014 को आयोजित बैठक और उसके बाद

उसी दिन जारी कार्यकारी आदेश;

परिभाषा "[2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((ख)

एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जहाँ एक द्वारा निकाली गई पेंशन पूर्व सैनिक जो पहले की तारीख को सेवानिवृत्त हुए थे, वे कम होंगे।

सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक द्वारा प्राप्त पेंशन की तुलना में

2014 में, जब तक कि एक 'आवधिक' समीक्षा आयोजित नहीं की जाती है

विसंगति को ठीक करने के लिए;

नई परिभाषा एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाती है जहाँ पूर्व

(iii)

समान पद और समान अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सैनिक

सेवा के लिए अलग-अलग पेंशन प्राप्त होगी। संघ में

भारत बनाम. एस. पी. एस. वेन्स ', इस कोर्टस का मानना था कि

एक वर्ग के भीतर एक वर्ग असंवैधानिक है;

(iv) भले ही अंतर वेतन को आवधिक समीक्षा द्वारा ठीक किया जाता है,

यह अन्याय का कारण बनेगा; ओ. आर. ओ. पी. के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि पहले से ही थी।

(v)

प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा जारी पत्र द्वारा 1 जुलाई 2014 तक निर्धारित किया गया 7 नवंबर 2015 को;

(vi) 7 नवंबर 2015 के पत्र के अनुसार, पेंशन

1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों में से

सेवानिवृत्ति पर अंतिम वेतन के आधार पर तय किया गया। हालांकि,

2013 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों की पेंशन

के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन के आधार पर तय किया जाए कैलेंडर वर्ष 2013। यह एक स्थिति की ओर ले जाएगा

अलग-अलग पेंशन का दर्जा दें;

रैंकः सिपाही (समूह वाई)

आई.

II.

III

I के बीच अंतर रखने वाले सिपाहियों की पेंशन

सिपाहियों की सेवा पेंशन की अवधि जो

2014 में सेवानिवृत्त (द्वितीय और द्वितीय के अनुसार 2.57 से गुणा)

1965 के बीच सेवानिवृत्त हुए

2013 (के अनुसार

रिपोर्ट के अनुसार पेंशन भुगतान

2014 का आदेश जो सातवां वेतन है

दिनांक 3 की अधिसूचना

फरवरी 2016 जो

लागू होता है

यह आयोग

को

इस श्रेणी पर लागू होता है

श्रेणी)

से प्रभावी

1.07.2014

रु. 6665 (के रूप में

15 वर्षों

रु. 7605

रु. 940

x 2.5 = रु। 2415

01/07/2013)

चित्र 1

7 (2008) 9 एस. सी. सी. 125 भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(vii) पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन को और कम किया जाता है -

औसत के आधार पर पेंशन का पुनर्निर्धारण

में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन

वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की तुलना में

या 1 अप्रैल 2014 के बाद। कुछ मामलों में, एक पूर्व पेंशनभोगी जो 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों को कर्मियों की तुलना में कम पेंशन मिलती है

2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले निचले रैंक के व्यक्ति। उदाहरण के लिए, यदि
नई परिभाषा का पालन किया जाता है फिर एक सिपाही जो सेवानिवृत्त हो जाता है

31 दिसंबर 2013 से पहले रुपये की पेंशन मिलेगी। 6665

प्रति माह जबकि एक अन्य सिपाही जो 1 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ

जनवरी 2014 में 7605 प्रति माह की पेंशन मिलेगी।

नीचे विसंगति को दर्शाने वाला एक चार्ट निकाला गया है:

रैंकः नाइक (ग्रुप वाई)

आई.

II.

III

सेवा की अवधि

आई के
बीच अंतर

नायकों की पेंशन जो

नायकों की पेंशन जो

और II को
7 से गुणा करें

2014 में सेवानिवृत्त हुए

1965 के बीच सेवानिवृत्त हुए

सी. पी.

सी. गुणा

2013

(पेंशन के अनुसार

2. 57

का कारक

(अधिसूचना के अनुसार

का भुगतान आदेश

दिनांकित 03.02.2016 जो

2014 जिस पर लागू होता है

यह श्रेणी) (पृष्ठ 6)

इस श्रेणी पर लागू होता है

डब्ल्यू. ई. एफ. 01.07.2014

एक का विराम छोड़ते हुए

वर्ष) (पृष्ठ 4)

20 वर्षों

रु. 7170 (के रूप में

रु. 8295

रु. 1125

x 2.57 = रु।

01/07/2013)

2891

चित्र 2

रैंकः ग्रुप कैप्टन

II.

III

आई.

सेवा की अवधि

जिन लोगों की पेंशन

आई के

बीच अंतर

जिन लोगों की पेंशन

और II को

7 से गुणा करें

1965 के बीच सेवानिवृत्त हुए

2014 में सेवानिवृत्त हुए

सी. पी.

सी. गुणा

2013

(पेंशन के अनुसार

2. 57 का

कारक

(अधिसूचना के अनुसार

का भुगतान आदेश

दिनांकित 03.02.2016 जो

2014 जिस पर लागू होता है

इस श्रेणी पर लागू होता है

यह श्रेणी) (पृष्ठ 6)

एक का विराम छोड़ते हुए

वर्ष) (पृष्ठ 8)

32 वर्षों

रु. 980

x 2.57 = रु।

रु. 37110

रु. 36130

2518

सरकार

जबकि 7 के अनुसार
सी. पी. सी, उनकी पेंशन है

एक के साथ

तय किया जाए

के गुणन

कारक

2.67 मेज

पर दिया गया
नीचे

(viii) चार्ट में दिए गए पेंशन में अंतर संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रगति के कारण नहीं है। यहाँ तक कि

नई परिभाषा के अनुसार, समान रैंक और समान अवधि की सेवा वाले सभी कर्मियों को समान प्राप्त होना चाहिए।

पेंशन;

(ix)

14 दिसंबर 2015 को जारी अधिसूचना का पालन करता हैः

7 नवंबर 2015 को जारी पत्र द्वारा प्रदान की गई ओ. आर. ओ. पी. की मनमाना परिभाषा। संदर्भ की शर्तें

अधिसूचना के तहत नियुक्त समिति भी हैं

ओ. आर. ओ. पी. की मनमाने ढंग से नई परिभाषा तक सीमित। 3 फरवरी 2016 को सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख को पहले प्रतिवादी द्वारा जारी पत्र में भी ओ. आर. ओ. पी. को नए और मनमाने तरीके से परिभाषित किया गया है। शर्तें;

(x)

जैसा कि कोश्यारी समिति ने उल्लेख किया है, छठे केंद्रीय संविधान के बाद वेतन आयोग, लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर के ग्रेड के अधिकारी 37400 रुपये से 67000 रुपये के एक वेतनमान के दायरे में आते हैं। इसलिए 2014 से पहले रक्षा सेवा से सेवानिवृत्त होने वालों को पेंशन मिलेगी।

न्यूनतम वेतन श्रेणी के संदर्भ में,

इस तथ्य के बावजूद कि वे मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल जैसे उच्च पदों पर रहे;

(xi) सभी हवलदारों को नायब का मानद पद दिया गया था।

सूबेदार। इस प्रकार उन्हें नायब की पेंशन दी जानी चाहिए।

सूबेदार;

(xii) तेरह साल के कार्यकाल के बाद मेजर के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मी।

कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में सेवा को लेफ्टिनेंट कर्नल की पेंशन दी जानी चाहिए क्योंकि कमीशन प्राप्त अधिकारी अब तेरह साल की सेवा के बाद स्वचालित रूप से लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं।

(xiii) 2004 से पहले लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले सभी पूर्व सैनिकों को कर्नल की पेंशन दी जानी चाहिए क्योंकि सभी कमीशन प्राप्त हैं।

अधिकारी अब स्वचालित रूप से कर्नल के रूप में सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

(xiv) जबकि सरकार ओ. आर. ओ. पी. को "उसी में सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मियों को दी जाने वाली समान पेंशन" के रूप में परिभाषित करती है।

रैंक, तारीख की परवाह किए बिना सेवा की समान लंबाई के साथ

सीपी "एक्स सेवा आंदोलन और ओआरएस। वी. यूनियन ऑफ ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सेवानिवृत्ति की ", यह सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाता है; ओ. आर. ओ. पी. को संकीर्ण शब्दों में परिभाषित करने का निर्णय एक

कार्यकारी अधिनियम जिसकी न्यायिक रूप से समीक्षा की जा सकती है और एक नहीं है

नीतिगत निर्णय;

केंद्र सरकार के 7 तारीख के पत्र के अनुसार

नवंबर 2015 में, पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन डेढ़ साल पीछे तय की जाएगी, भले ही बराबरी की जाए।

पाँच साल में एक बार;

सातवें वेतन आयोग के तहत, सभी पेंशनभोगियों की मूल पेंशन को 31 दिसंबर 2015 को मूल पेंशन को 2.57 के कारक से गुणा करके प्राप्त किया जाना है। तब से

2013-14 31 दिसंबर 2015 तक अद्यतन नहीं किया गया है (यानी रु। 7605 प्रति माह) लेकिन केवल के आधार पर तय किया गया है 2013 की पेंशन का औसत, यानी रु। 6665 पूर्व पेंशनभोगी को प्रति माह एक लाख रुपये मिलेंगे। 2415 एक अधिकारी से कम

समान पद और समान अवधि की सेवा लेकिन जो सेवानिवृत्त हुए

बाद में; केंद्र सरकार ने कहा है कि सातवें वेतन आयोग के बाद, कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के कर्मियों की मूल पेंशन को गुणा कारक को 2.57 से बढ़ाकर 2.67 कर दिया जाएगा। हालांकि, पिछले पेंशनभोगियों को इस आधार पर इस वृद्धि से इनकार कर दिया गया है कि नई परिभाषा के अनुसार आवधिक समानीकरण के बाद ही 2019 में लाभ दिया जाएगा।

पूर्व सैनिकों को ओ. आर. ओ. पी. का लाभ तब तक मिला जब तक

तीसरा केंद्रीय वेतन आयोग। इसके बाद यह

सिफारिश की गई कि पूर्व सैनिकों की पेंशन कम की जाए और इस तरह की कमी की भरपाई के लिए उन्हें अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में शामिल किया जाए। हालाँकि, पेंशन को कम कर दिया गया था, लेकिन उनके अवशोषण से संबंधित सिफारिश को लागू नहीं किया गया था। सेना के जवानों ने तब मांग की

कि ओ. आर. ओ. पी. को लागू किया जाना चाहिए;

डी. एस. नकारा बनाम पर उत्तरदाताओं द्वारा रखी गई निर्भरता। भारत संघ गलत है क्योंकि यह केवल

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

सिविल सेवकों पर लागू होने वाला सामान्य कानून। एस. पी. एस. वेन्स (उपरोक्त) में निर्णय रक्षा बलों के पूर्व सैनिकों पर लागू विशेष कानून से संबंधित है।

न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय समिति ने 26 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। दो साल बाद भी,

सरकार अभी भी रिपोर्ट का 'अध्ययन' कर रही है और अभी तक रिपोर्ट जारी नहीं की है। यदि उत्तरदाता हर पांच साल के लिए पेंशन में वृद्धि की गणना कर सकते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह हर साल नहीं किया जा सकता है।

यदि सशस्त्र कर्मियों की सेवा छत्तीस वर्ष से कम है तो पेंशन में कमी का नियम था

1973 में पेश किया गया। यदि किसी सैनिक ने छत्तीस वर्ष से कम समय तक सेवा की है तो उसकी पेंशन में X (सेवा किए गए वर्षों की संख्या)% की दर से कमी की जाएगी। 26. द.

जबकि उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया है कि दो वर्षों में ओ. आर. ओ. पी. के लिए बकाया के रूप में 10,795 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है, यह केवल औसत वृद्धि के बराबर है। प्रति सैनिक 2131 रुपये प्रति माह। केंद्र सरकार केंद्र के लिए अधिक राशि खर्च कर रही है

सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी;

केंद्र सरकार ने छह वर्षों में ओ. आर. ओ. पी. के लिए 32,385 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जो गैर-कार्यात्मक योजना के लिए प्रति वर्ष 27,800 करोड़ रुपये के खर्च से कम है। उन्नयन। केंद्र सरकार ने लगातार

सशस्त्र बलों पर कम खर्च किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, सेना के लिए "उच्च ऊंचाई सियाचिन भत्ता" कर्मियों की कीमत 31,500 रुपये है, जबकि यह 50,000 रुपये से 70,000 रुपये तक है।

वी. यूनियन ऑफ आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सभी केंद्रीय संवर्ग के लिए 'कठिन क्षेत्रों' में सेवा करने के लिए

शिलांग;

(ऊपर)। भले ही 2013 के सेवानिवृत्त लोगों को एम. ए. सी. पी. दिया गया हो, लेकिन चार्ट में की गई तुलना अभी भी बरकरार है। सही;

जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि ओ. आर. ओ. पी. 'पूर्व सेवानिवृत्त' लोगों को दिया जाना है, इसने यह कहकर भ्रम पैदा कर दिया है कि योजना दी जानी चाहिए

संभावित प्रभाव; तथा

एम. ए. सी. पी. योजना 1 जनवरी 2016 से लागू हुई। इसलिए, रुपये का आंकड़ा। 6665 सिपाही द्वारा प्राप्य पेंशन के संदर्भ में लाभ शामिल होने चाहिए।

एम ए सी पी योजना।

उत्तरदाताओं के लिए भारत के विद्वान अतिरिक्त रॉल श्री वेंकटरमण को सुना है। कार्यवाही के दौरान उत्तरदाताओं के पास प्रस्तुतियाँ होती हैं:

1 जुलाई 2014 से ओ. आर. ओ. पी. लागू होने के बाद पेंशन के लिए बजट बढ़ाया गया है। ओ. आर. ओ. पी. के संबंध में बकाया राशि का वितरण है -

औसत पेंशन को औसत पर लाया जाता है और जो लोग अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वे सुरक्षित हैं; ओ. आर. ओ. पी. योजना 1 जुलाई 2014 से प्रभावी रूप से लागू की गई है। इससे होने वाले लाभ

योजना का भुगतान 1 जुलाई 2014 के बाद उन लोगों को किया जाना है जो 1 जुलाई 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए; [2022] 9 एस. सी. आर.

ओ. आर. ओ. पी. योजना में पेंशन में एक बार संशोधन करने की परिकल्पना की गई है।

((iv)

पांच वर्षों में, नागरिक पेंशन योजनाओं के विपरीत, जिन्हें दस वर्षों में एक बार संशोधित किया जाता है। 'स्वचालित' समायोजन प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ताओं की याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है

क्योंकि इसे लागू करना असंभव है;

(v)

यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि कार्यवृत्त, बयान और मंत्रालय के साथ और मंत्रालय के भीतर अंतर-मंत्रिस्तरीय चर्चा में कानून का बल नहीं होता है। इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा बैठक के कार्यवृत्त का यह तर्क देने के लिए किया गया संदर्भ कि

ओ. आर. ओ. पी. में परिवर्तन अस्थिर है।

(vi)

योजना/नीति को मनमानेपन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है लेकिन नीति को प्रतिस्थापित करने की मांग की जा सकती है नहीं किया जा सकता;

(vii)

याचिकाकर्ताओं द्वारा समान रैंक और समान अवधि की सेवा वाले रक्षा कर्मियों की पेंशन में कथित असमानता को ओ. आर. ओ. पी. योजना के कारण गलत तरीके से दर्शाया गया है। पेंशनभोगियों के विभिन्न वर्गों की बराबरी करके एक कृत्रिम असमानता दिखाई गई है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत चार्ट के चित्र 1 में,

(viii)

उन्होंने एक सिपाही को देय पेंशन की तुलना ओ. आर. ओ. पी. योजना के तहत 15 साल की सेवा और एक सिपाही की पेंशन से की है जो पंद्रह साल की सेवा के बाद 2014 से पहले (ओ. आर. ओ. पी. के आवेदन से पहले) सेवानिवृत्त हो गया था, जो दिनांकित परिपत्र संख्या 555 के अनुसार शुरू की गई एम. ए. सी. पी. योजना के कारण नाइक के पद पर वेतन प्राप्त कर रहा है।

4 फरवरी 2016;

(ix)

6, 665 रुपये की पेंशन का आंकड़ा अधिकतम और न्यूनतम की औसत पेंशन को लेकर आता है।

2013 की पेंशन। हालांकि, 7,605 रुपये के आंकड़े की गणना पिछले वेतन के 50 प्रतिशत के आधार पर की जाती है।

सेवानिवृत्ति से पहले तैयार किया गया;

एम. ए. सी. पी. योजना के तहत, एक सिपाही जो मूल रूप से था

(x)

ग्रेड वेतन के रूप में 2000 रुपये प्राप्त करने पर आठ साल की सेवा के बाद 2400 रुपये का अगला ग्रेड वेतन प्राप्त होगा। 2400 रुपये का ग्रेड वेतन नाइक के ग्रेड वेतन के अनुरूप है। इसी तरह सोलह साल की सेवा के बाद, उन्हें एर्विसमेन मूवमेंट एंड ओआरएस प्राप्त होगा।

वी. यूनियन ऑफ आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

रुपये का उच्च श्रेणी वेतन। 2800 , जो हवलदार के ग्रेड वेतन के अनुरूप है; इसी तरह, याचिकाकर्ताओं द्वारा चित्र 2 में दिखाई गई असमानता ओ. आर. ओ. पी. के बजाय एम. ए. सी. पी. योजना के कार्यान्वयन के कारण है। चित्र 3 जो समूह कप्तान के पद से संबंधित है, समूह कप्तान डैनियल विक्टर की पेंशन राशि को उद्धृत करता है जो 28 फरवरी 2015 को सेवानिवृत्त हुए थे। ओ. आर. ओ. पी. योजना ग्रुप कैप्टन विक्टर पर लागू नहीं होती है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई तुलना गैर-तुलनीय के बीच की तुलना है। 2013 में औसत पेंशन के आधार पर गणना की गई पेंशन की तुलना पेंशन नियमों के आधार पर प्राप्त वास्तविक पेंशन से नहीं की जा सकती है।

एम. ए. सी. पी. शासन ने नाइक, हवलदार और नायब सूबेदार के पद के साथ समूह बनाने के लिए सिपाही द्वारा 6,16 और 24 साल की सेवा की गारंटी दी। दूसरी ओर, पहले की आश्वस्त कैरियर प्रगति 10 1 0 के तहत

शासन, आवश्यक सेवा 10,20 और 30 वर्षों की है;

ओ. आर. ओ. पी. की गणना के लिए केंद्र सरकार ने एम. ए. सी. पी. को आधार के रूप में लिया है और इसे पूरे क्षेत्र में लागू किया है।

ओ. आर. ओ. पी. पर केंद्र सरकार के कार्यकारी निर्णय को केवल कानूनी सिद्धांतों पर ही चुनौती दी जा सकती है। हालाँकि, याचिकाकर्ता ओ. आर. ओ. पी. की सबसे लाभकारी व्याख्या को लागू करने की मांग कर रहे हैं। यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि सबसे लाभकारी व्याख्या

ओ. आर. ओ. पी. एकमात्र 'सही' व्याख्या है और इसे एक अधिकार के रूप में लागू किया जाना चाहिए।

एस. पी. एस. वेन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पूर्व और पद

1996 1996 से पहले के सेवानिवृत्त मेजर जनरलों की पेंशन में विसंगति को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त मेजर जनरलों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उस मामले में सिद्धांत मेजर [2022] 9 एस. सी. आर. के रैंकों के बीच विसंगति को हटाने के बारे में था।

जनरल और ब्रिगेडियर जो पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न हुए थे

आयोग;

इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग बनाम। भारत संघ 1 1,

(xvii)

इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जब तक ओ. आर. ओ. पी. के दावे को नाका (ऊपर) में प्रदान की गई राहतों से प्रवाहित नहीं माना जा सकता है, तब तक दावा की गई राहतों को प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह भी देखा गया कि नकारा (उपरोक्त) में निर्णय को पेंशन सेवानिवृत्त लोगों द्वारा किए गए सभी दावों को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि पेंशन की गणना का उद्देश्य अलग है। के. एल. राठी बनाम में निर्णय। भारत संघ 1 2 और सुचेत सिंह यादव बनाम। संघ

भारत का 13 1 3 इस निवेदन का समर्थन करता है;

(xviii)

न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आंतरिक समिति व्यवहार्यता की जांच कर रही है सिफारिशें;

(xix)

कोश्यारी समिति की सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और इसलिए वे इसके लिए बाध्यकारी नहीं हैं। समिति की सिफारिशों को समिति का निर्णय नहीं कहा जा सकता है।

संघ सरकार;

छठे वेतन आयोग के बाद से, सेवा की अवधि

(एक्सएक्स)

पेंशन की गणना के लिए अब कोई मानदंड नहीं है। पेंशन अब अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत से निर्धारित की जाती है। हालांकि, मांगों के कारण, औसत पेंशन के आधार पर ओ. आर. ओ. पी. दरें तैयार की गई हैं।

2013 में सेवानिवृत्त;

(xxi)

स्वचालित संशोधन करना संभव नहीं है। यद्यपि सरकार एकरूपता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी है, एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवधिकता को परिभाषित करना अनुचित नहीं है।

(xxii)

यह तर्क कि ओ. आर. ओ. पी. को 1 अप्रैल 2014 से मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि इसकी घोषणा 2014 में की गई थी।

1991 एससी 1182

1997 (30 207)

9) 11 एस. सी. सी. 520 शहरी आंदोलन और ओ. आर. एस. वी. यूनियन ऑफ आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

2014 का बजट गलत है। यह थी योजना

रक्षा मंत्रालय द्वारा पत्रों के माध्यम से प्रस्तावित

दिनांक 7 नवंबर 2015 और 3 फरवरी 2016;

वित्त मंत्री द्वारा 17 को दिया गया बयान फरवरी 2014 केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय पर आधारित नहीं था। मंत्रिमंडल सचिवालय ने ओ. आर. ओ. पी. योजना को प्रधानमंत्री की मंजूरी से अवगत कराया

7 नवंबर 2015 को। रक्षा मंत्रालय 7 तारीख की एक अधिसूचना द्वारा इस नीति को सूचित किया गया

कर्मी 42,776.38 करोड़ रुपये की सीमा में होंगे; और कोश्यारी समिति की रिपोर्ट, 26 फरवरी 2014 को हुई बैठक के कार्यवृत्त और 26 तारीख के कार्यकारी आदेश में 'स्वतः' शब्द का प्रयोग किया गया है।

फरवरी 2014 में ओ. आर. ओ. पी. योजना को परिभाषित करने के बाद

अभिव्यक्ति 'पेंशन की दरों में स्वचालित रूप से पिछले पेंशनभोगियों को दिया जाना'। अतः, इसे इस अर्थ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए कि पेंशन की दरों को पारित किया जाएगा

बिना किसी कठिनाई के पिछले पेंशनभोगी। वाक्यांश

' स्वचालित रूप से 'का मतलब समय अवधि नहीं है।

बहन।

उह, तथ्यात्मक और विस्तृत मुद्दों की एक महत्वपूर्ण संख्या

वह दलीलों का पाठ्यक्रम। श्री हुज़ेफा अहमदी, विद्वान [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित होने के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट प्रस्तुतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया

केंद्र सरकार ने एक कार्यकारी निर्णय लिया कि

ओ. आर. ओ. पी. को लागू करें जैसा कि कोश्यारी समझते हैं। समिति। इसका प्रमाण इस प्रकार हैः

लोक सभा में वित्त मंत्री का वक्तव्य

ए।

17 फरवरी 2014 को सभा;

26 फरवरी 2014 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया

बी।

केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा आहूत; संघ का 26 फरवरी 2014 का पत्र

सी।

सरकार ने सी. जी. डी. ए. को कहाः

10 पर वित्त मंत्री का बजट भाषण

डी।

जुलाई 2014; और

राज्य मंत्री का 2 दिसंबर 2014 का जवाब

ई.

संसद सदस्य के वित्त के लिए।

0 ओ. आर. ओ. पी. की अवधारणा में अंतर्निहित आवश्यक तत्व

ये हैंः

समान अवधि के साथ एक ही पद से सेवानिवृत्त होने वाले लोग

ए।

सेवा की परवाह किए बिना समान पेंशन प्राप्त करनी चाहिए।

सेवानिवृत्ति की तारीख;

भविष्य में पेंशन की वृद्धि स्वचालित रूप से होनी चाहिए

बी।

पूर्व पेंशनभोगियों को दिया गया; और

पेंशन की दर के बीच की खाई को पाटना

सी।

वर्तमान और पूर्व पेंशनभोगी।

) 1 ओ. आर. ओ. पी. में अंतर्निहित उपरोक्त सिद्धांत के प्रतिस्थापन में, रक्षा मंत्रालय के 7 नवंबर 2015 के संचार ने कार्यकारी निर्णय को संशोधित करते हुए कहा किः

आई.

कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन का आधार, जिसका लाभ 1 से प्रभावी है
जुलाई 2014;

सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन पर पुनर्विचार किया जाना है

ii.

न्यूनतम और अधिकतम भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओ. आर. एस. के औसत का आधार।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

2013 में समान पद पर और समान अवधि की सेवा के साथ सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों की पेंशन;

भविष्य में हर पाँच पर पेंशन की समीक्षा की जाएगी।

iii.

वर्ष और स्वचालित रूप से नहीं; और

इसलिए, वास्तविक निर्णय जो 7 पर लिया गया था

iv.

नवंबर 2015 समानता के सिद्धांत से भटकता है

जिसे ओ. आर. ओ. पी. अपनाता है।

15. पेंशनभोगियों द्वारा अनुरोध किए गए प्रस्तुतिकरण

में निर्धारित चार्ट का उल्लेख करके समर्थन करने की मांग की जाती है

इस निर्णय के पूर्व भाग और अंक 1,2 और 3 के रूप में चिह्नित किया गया है जिसके द्वारा समान अवधि की सेवा के साथ समान रैंक के व्यक्तियों को देय पेंशन में असमानता दिखाने का प्रयास किया गया है। सेवानिवृत्ति की तिथि।

C. 1 ओ. आर. ओ. पी. की अवधारणा और उत्पत्ति

16. 7 पर नीति के मार्गदर्शक विवरण के रूप में ओ. आर. ओ. पी. को अपनाना

नवंबर 2015 से पहले संसद के भीतर और बाहर चर्चा हुई थी। कोश्यारी समिति ने 10 दिसंबर 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने ओ. आर. ओ. पी. की अवधारणा की समझ तैयार की। समिति की रिपोर्ट के अनुसार, ओ. आर. ओ. पी. का तात्पर्य है कि "समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक समान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो और भविष्य में पेंशन की दर में कोई भी वृद्धि स्वचालित रूप से पूर्व पेंशनभोगियों को दी जानी चाहिए"। रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधारणा का तात्पर्य "वर्तमान पेंशनभोगियों और पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन की दर के बीच की खाई को पाटना" था। कोश्यारी समिति की रिपोर्ट में ओ. आर. ओ. पी. की अवधारणा की यह समझ इस मानक पर आधारित थी कि सशस्त्र बलों में पदानुक्रम में दो तत्व शामिल होते हैं।

अर्थात् पद और सेवा की अवधि। पद राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और कमान, नियंत्रण और जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी पदों को बनाए रखने की अनुमति है। अतः ओ. आर. ओ. पी. के अनुसार कोश्यारी समिति का मानना है कि एक ही रैंक के और समान अवधि की सेवा वाले सशस्त्र बलों के दो कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीखों के बावजूद समान पेंशन मिलनी चाहिए और भविष्य में पेंशन की दरों में

कोई भी वृद्धि स्वचालित रूप से पूर्व पेंशनभोगियों को दी जानी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से ओ. आर. ओ. पी. को अपनाने का प्रस्ताव करते हुए, कोश्यारी समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला किः

22] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((i)

ओ. आर. ओ. पी. 1973 तक प्रचलन में था जब तीसरा केंद्रीय वेतन था।

आयोग ने अन्यथा निर्णय लिया;

((ख)

आयु से सेवानिवृत्त होने वाले नागरिक कर्मचारियों के विपरीत, सशस्त्र बल

कर्मचारी पद से सेवानिवृत्त होते हैं; और

(iii)

सशस्त्र बलों के कर्मियों की सेवा की शर्तें

नागरिक कर्मचारियों की तुलना में अधिक कठोर हैं और सशस्त्र बलों के कर्मियों की तुलना सरकार के नागरिक कर्मचारियों के साथ नहीं की जा सकती है।

17. अब यह समझने की आवश्यकता है कि कोश्यारी समिति की रिपोर्ट राज्य सभा को समिति द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट है।

याचिकाएं। रिपोर्ट को सरकारी नीति के बयान के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ 1 4 14, की एक संविधान पीठ

इस न्यायालय ने अनुच्छेद 145 (3) के तहत संदर्भ पर दो मुद्दों पर विचार किया, अर्थात्:

" 9 ..... 73.1 . (i) चाहे भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दायर मुकदमे में,

न्यायालय संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को संदर्भित कर सकता है और उस पर भरोसा कर सकता है?

73.2 . ((ii) क्या ऐसी रिपोर्ट को संदर्भ के उद्देश्य से देखा जा सकता है और यदि ऐसा है, तो क्या संसदीय अवधारणा के संबंध में संदर्भ के उद्देश्य के लिए प्रतिबंध हो सकते हैं।

विशेषाधिकार और संवैधानिक के बीच नाजुक संतुलन

ऐसी संस्थाएं जिनकी संविधान के अनुच्छेद 105,121 और 122 में कल्पना की गई है?

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा (अपने और न्यायधीश ए. एम. खानविलकर के लिए बोलते हुए) ने इस प्रकार कहाः

" प्र. निष्कर्ष

159.1 . संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट से मदद ली जा सकती है।

एक वैधानिक प्रावधान की व्याख्या के उद्देश्य से

जहाँ भी यह इतना आवश्यक है और इसे एक ऐतिहासिक तथ्य के अस्तित्व के रूप में भी ध्यान में रखा जा सकता है।

159.3 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 136 के तहत दायर मुकदमे में, यह न्यायालय संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले सकता है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है

न्यायालय में आरोपित या चुनौती नहीं दी जा सकती है।

14 (2018) 7 एस. सी. सी. 1 [एक पूर्व सेवा आंदोलन और ओ. आर. एस.। वी. यूनियन ऑफ डी. आई. ए. एंड ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

159.4 . जहाँ तथ्य विवादास्पद है, याचिकाकर्ता हमेशा कर सकता है

कई स्रोतों से तथ्यों को एकत्र करें और शपथ पत्र के माध्यम से ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत करें, और अदालत इस तरह से अपना निर्णय दे सकती है -

स्वतंत्र निर्णय।

159.5 . संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के कारण नागरिकों से उचित टिप्पणियां और आलोचना आमंत्रित की जा सकती है क्योंकि ऐसी स्थिति में नागरिक वास्तव में किसी भी संसद सदस्य पर उल्लंघन के खतरे को आमंत्रित करने के लिए टिप्पणी नहीं करते हैं

संसदीय विशेषाधिकार "।

18. हममें से एक (डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.) ने अपने और सी. ई. डॉ. ए. के. सीकरी के लिए बोलते हुए कहा कि एक संसदीय समिति की रिपोर्ट का विभिन्न दृष्टिकोणों पर प्रभाव पड़ता है जिनमें से कुछ को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया थाः

" 259.1 . संसदीय समिति की रिपोर्ट में नीतिगत मामलों पर सरकार की स्थिति का विवरण हो सकता है। 259.2 . रिपोर्ट उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों का संकेत दे सकती है जिन्होंने समिति के समक्ष गवाही दी है;

259.3 . रिपोर्ट में तथ्य के निष्कर्ष शामिल हो सकते हैं जिनमें शामिल हैं -

नीतियों को लागू करने में सरकार का प्रदर्शन और

कानून; 259.4 . रिपोर्ट में दुराचार के निष्कर्ष हो सकते हैं

सार्वजनिक अधिकारियों या निजी व्यक्तियों द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन करना

या कानून की चोरी; या

जिसमें इसे ठीक करने की मांग की गई थी। फैसले में विस्तार से कहा गया है किः

" 264. मंत्रालयों से जुड़ी संसद की समितियाँ /

सरकार के विभाग सरकार को अपनी नीतियों और कानून के तहत अपने कर्तव्यों को लागू करने के लिए जवाबदेह ठहराने का कार्य करते हैं। सरकारी एजेंसियों का प्रदर्शन इस तरह की रिपोर्ट का विषय बन सकता है। अन्य मामलों में, सामाजिक सुधार में विधायी ढांचे की कमियां

गलतियों का संसदीय समिति द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। संसदीय समिति का कार्य [2022] 9 एस. सी. आर. को पार कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समाज कल्याण का क्षेत्र या तो उस हद तक जिसके लिए मौजूदा विधान को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है या इसके ढांचे में खामियों को उजागर करने के संदर्भ में। सिद्धांत रूप में कोई कारण नहीं है कि क्यों

अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों या अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के व्यापक अधिकार क्षेत्र का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि वे इस तरह से किए गए भारी काम से बेखबर हों।

क्षेत्र में संसदीय समितियाँ। समिति का काम सामाजिक न्याय से वंचितता को कम करने और कुशलता और कुशलता सुनिश्चित करने में सरकार की ओर से सतर्कता सुनिश्चित करना है।

उत्तरदायी शासन। जब अदालतें जनहित के मुद्दों पर हस्तक्षेप करती हैं और उन पर निर्णय देती हैं, तो वे किसी प्रतिकूल कार्य का निर्वहन नहीं करती हैं। लोक हित के मामलों में निर्णय लेने का संवैधानिक कार्य संसदीय समितियों की भूमिका के अनुरूप है जो जवाबदेही, पारदर्शिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सरकार में प्रतिक्रियाशीलता। ऐसे क्षेत्रों में, अलगाव का सिद्धांत एक संसदीय समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए अदालत के खिलाफ नहीं है। अदालत रिपोर्ट की वैधता का फैसला नहीं करती है और न ही उस मामले के लिए वह इसकी शुद्धता की जांच शुरू करती है। संसद द्वारा जाँच के उद्देश्य के बीच एक कार्यात्मक पूरकता है।

समिति और न्यायालय द्वारा निर्णय। न्यायालय को संसदीय समिति की मूल्यवान अंतर्दृष्टि से वंचित करना न्यायालय के दायरे से सूचना के एक महत्वपूर्ण स्रोत को बाहर करने के बराबर होगा। इस कथित परिकल्पना पर ऐसा करना कि यह संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा, पेड़ों के लिए लकड़ी की कमी होगी। एक बार संसदीय समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के बाद यह सार्वजनिक हो जाती है। एक बार जब संसद ने इसे सार्वजनिक कर दिया है, तो संसदीय विशेषाधिकार पर भरोसा करने वाली कार्यपालिका के बारे में एक विडंबना है। इसे उस सामग्री के दायरे से बाहर करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है जिसके लिए अदालत उस समस्या को समझने के लिए सहारा लेना चाहती है जिससे उसे निपटना आवश्यक है। अदालत को रिपोर्ट को एक मजबूत सामान्य समझ के साथ देखना चाहिए, इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि रिपोर्ट की वैधता निर्धारित करने के लिए यह नहीं कहा गया है जो संसद को दी गई सलाह का गठन करता है। अदालत किस हद तक एक रिपोर्ट पर भरोसा करेगी, यह आवश्यक रूप से मामले-दर-मामले अलग-अलग होना चाहिए और इस संबंध में कोई पूर्ण नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

19. एक सहमति वाले फैसले में, न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहाः

भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओआरएस। वी. संघ का

भारत और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

रिपोर्ट का उपयोग विधायी इतिहास के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है कानून के साथ-साथ एक मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर विचार करने के लिए।

जब विचार करने में विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता है

उपरोक्त दो उद्देश्यों के लिए न्यायालय द्वारा संसदीय सामग्री और समिति की रिपोर्ट, हम याचिकाकर्ता के इस कथन को स्वीकार नहीं करने का कोई वैध कारण नहीं देखते हैं कि अदालतों को उसके समक्ष रिकॉर्ड पर संसदीय सामग्री और रिपोर्टों को स्वीकार करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बशर्ते कि अदालत अनुमति देने के लिए आगे न बढ़े।

पक्षकार रिपोर्ट पर सवाल उठाएंगे और उन पर महाभियोग चलाएंगे।

20. ओ. आर. ओ. पी. को अपनाने की पृष्ठभूमि को इंगित करने के लिए कोश्यारी समिति की रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मांग का कारण और संसदीय समिति का विचार जिसने सशस्त्र बलों से संबंधित कर्मियों के लिए ओ. आर. ओ. पी. को अपनाने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, कोश्यारी समिति की रिपोर्ट को सरकारी नीति के बयान के रूप में नहीं माना जा सकता है। अनुच्छेद के संदर्भ में तैयार की गई सरकारी नीति 73 संघ द्वारा या राज्य द्वारा अनुच्छेद 162 का अधिकृत रूप से आकलन सरकार के नीतिगत दस्तावेजों से किया जाना चाहिए, जो वर्तमान मामले में 7 नवंबर 2015 का संचार है। इससे पहले, 17 फरवरी 2014 को, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में 2014-15 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए एक बयान दिया गया था जिसमें कहा गया था कि सरकार ने रक्षा बलों के लिए OROP के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है और यह निर्णय वित्तीय वर्ष 2014-15 से लागू किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री का बयान सशस्त्र बलों से संबंधित सभी कर्मियों के लिए ओ. आर. ओ. पी. को अपनाने के सैद्धांतिक निर्णय को दर्शाता है। जाहिर है, ओ. आर. ओ. पी. को लागू करने के तौर-तरीकों को अभी तक तैयार नहीं किया गया था और बाद में अपनाया गया था। 26 फरवरी 2014 को, रक्षा मंत्री द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें इसके लिए तौर-तरीकों पर चर्चा की गई थी।

ओ. आर. ओ. पी. को अपनाने के निर्णय को लागू करना। बैठक के कार्यवृत्त के पैराग्राफ 3 में विस्तार से बताया गया है कि ओ. आर. ओ. पी. का तात्पर्य हैः

((i)

सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को समान पेंशन का भुगतान किया जाए

सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना सेवा की समान अवधि के साथ एक ही रैंक में;

((ii) भविष्य में पेंशन की दरों में कोई भी वृद्धि होनी चाहिए -

पिछले पेंशनभोगियों को दिया गया;

(111) वर्तमान और अतीत की पेंशन दरों के बीच का अंतर

पेंशनभोगियों को जोड़ा जाना चाहिए; और [2022] 9 एस. सी. आर.

((iv)

भविष्य में पेंशन की दरों में वृद्धि होनी चाहिए

स्वचालित रूप से उस स्तर पर पिछले पेंशनभोगियों के आधार पर।

21. सी. जी. डी. ए. को मंत्रालय के वित्त और पूर्व सैनिक कल्याण विभागों के साथ परामर्श करके कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।

निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए बचाव। 26 फरवरी 2014 को हुई यह बैठक ओ. आर. ओ. पी. को लागू करने के तौर-तरीकों को निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा थी। 26 फरवरी 2014 को पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा सी. जी. डी. ए. को संबोधित एक संदेश में कहा गया था कि रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में रक्षा बलों के सभी रैंकों के लिए ओ. आर. ओ. पी. को वित्तीय वर्ष 2014-15 से लागू करने का निर्णय लिया गया था। संचार का पैरा 2 इस प्रकार हैः

" तदनुसार, सी. जी. डी. ए. परामर्श से तौर-तरीकों पर काम कर सकता है।

सेवा मुख्यालयों के साथ, (जो बदले में पूर्व सैनिकों से उचित रूप से परामर्श कर सकते हैं), विभाग ईएसडब्ल्यू और एमओडी (वित्त) और इसे लागू करने के लिए आवश्यक हैं।

22. 10 जुलाई 2014 को वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान वार्षिक बजट पेश करते हुए कहा कि

सरकार ने पेंशन असमानता को दूर करने के लिए ओ. आर. ओ. पी. की नीति अपनाई थी और वर्ष की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई थी। 2 दिसंबर 2014 को, ओ. आर. ओ. पी. पर जानकारी रक्षा राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा के एक सदस्य के जवाब में दी गई थी।

23. ओ. आर. ओ. पी. को सैद्धांतिक रूप से अपनाने के बाद इसे लागू करने के तौर-तरीकों पर चर्चा के बाद अंततः रक्षा मंत्रालय ने 7 नवंबर 2015 को सेनाध्यक्षों, वायु सेनाध्यक्षों और नौसेनाध्यक्षों को पत्र लिखा। संचार इंगित करता है किः

" 2. अब "वन रैंक वन" को लागू करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन "(ओ. आर. ओ. पी.)

1.07.2014 . ओ. आर. ओ. पी. का तात्पर्य है कि समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा बलों के कर्मियों को समान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो, जिसका अर्थ है वर्तमान पेंशन की दरों के बीच के अंतर को कम करना।

और समय-समय पर पूर्व पेंशनभोगी। [sic] "

संचार विज्ञापनों का अनुच्छेद 3 मुख्य विशेषताओं को दर्शाता हैः

भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 3. ओ. आर. ओ. पी. की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैंः आई. शुरुआत में, पूर्व पेंशनभोगी की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन के आधार पर फिर से तय की जाएगी और

ii. 2013 में समान सेवा अवधि के साथ एक ही रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन फिर से तय की जाएगी। iii. औसत से अधिक आय प्राप्त करने वालों के लिए पेंशन की रक्षा की जाएगी।

iv. बकाया राशि का भुगतान चार बराबर छमाही किश्तों में किया जाएगा। हालांकि, विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक किश्त में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

वी. भविष्य में हर 5 साल में पेंशन फिर से तय की जाएगी। संचार ने यह भी संकेत दिया कि जो कर्मचारी पाने का विकल्प चुनते हैं

अब से छुट्टी दिए जाने वाले ओ. आर. ओ. पी. के लाभ के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने ओ. आर. ओ. पी. के कार्यान्वयन में विसंगति को देखने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया था और इसकी रिपोर्ट छह महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी थी। नीति की विशेषताएँ

24. इन कार्यवाही में इस बात पर काफी बहस हुई है कि क्या "आवधिक अंतराल पर" अभिव्यक्ति मूल समझ का उल्लंघन थी कि पेंशन की दरों में वृद्धि स्वचालित रूप से पारित हो जाएगी। प्रस्तुतिकरण पर विचार करते समय, शुरुआत में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोश्यारी समिति की रिपोर्ट से ही, यह परिकल्पना की गई थी कि "भविष्य में किसी भी वृद्धि में पेंशन की दरों को स्वचालित रूप से अतीत में पारित किया जाना है

पेंशनभोगियों "। 17 फरवरी 2014 को लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए बयान ने सैद्धांतिक रूप से निर्णय [2022] 9 एस. सी. आर.

ओ. आर. ओ. पी. को लागू करना। 26 फरवरी, 2014 को रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक बार फिर यह परिकल्पना की गई कि भविष्य में पेंशन की दरों में किसी भी तरह की वृद्धि को स्वतः अतीत में पारित कर दिया जाएगा।

पेंशनभोगियों "। रक्षा राज्य मंत्री द्वारा राज्य सभा के एक सदस्य को लिखित रूप में दिया गया जवाब भी इसी तरह इंगित करता है कि "भविष्य में पेंशन की दर में वृद्धि स्वचालित रूप से पारित हो जाएगी।

पिछले पेंशनभोगियों के लिए "। 7 नवंबर 2015 से पहले की विधायी और अन्य सामग्री ने प्रस्तावित किया कि भविष्य की दरों में वृद्धि

पेंशन स्वतः पारित हो जाएगी। अभिव्यक्ति "स्वचालित रूप से" स्पष्ट रूप से संशोधन के लिए एक समय अवधि से जुड़ा नहीं था

पेंशन। 7 नवंबर 2015 के संचार से पहले रिकॉर्ड पर कोई भी दस्तावेज यह नहीं बताता है कि पेंशन को संशोधित करने की प्रक्रिया आवधिक अंतराल पर संशोधन के बजाय निरंतर आधार पर जारी रखा जाना था।

25. याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुत करने में भ्रांति इस तर्क में है कि 7 नवंबर 2015 का नीतिगत संचार है

ओ. आर. ओ. पी. को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिए गए मूल निर्णय के विपरीत। याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुत करने में यह आधार निहित है कि मूल निर्णय कोश्यारी समिति की रिपोर्ट के बाद वित्त मंत्री द्वारा सदन में दिए गए बयान (17 फरवरी 2014 और 10 जुलाई 2014) और रक्षा मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक के कार्यवृत्त (26 फरवरी 2014) पर आधारित था। अंतर्निहित दस्तावेज़ के हमारे विश्लेषण से संकेत मिलता है कि ओ. आर. ओ. पी. को लागू करने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया गया था, लेकिन कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीके अभी तक तैयार नहीं किए गए थे। इस प्रकार, 7 नवंबर 2015 के संचार के अस्तित्व में आने तक ओ. आर. ओ. पी. को लागू करने के तौर-तरीकों पर केंद्र सरकार की ओर से कोई सचेत नीतिगत निर्णय नहीं था। 7 नवंबर 2015 के संचार को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता है कि यह ओ. आर. ओ. पी. की 'मूल समझ' का उल्लंघन करता है। कानून में कानूनों और नियमों के बीच एक पदानुक्रम मौजूद है-एक वैधानिक प्रावधान को प्रत्यायोजित कानून पर प्राथमिकता दी जाएगी यदि बाद वाला पहले वाले के साथ संघर्ष करता है। इसी तरह, कार्यकारी निर्देश किसी कानून या नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं।

2015. इसलिए, नीति के उस तत्व को चुनौती नहीं दी जा सकती है यह धारणा कि मूल समझ में ओ. आर. ओ. पी. की एक अनम्य धारणा है। ओ. आर. ओ. पी. अपने आप में नीति का विषय है और यह नीति निर्माताओं के लिए कार्यान्वयन की शर्तों को निर्धारित करने के लिए खुला था।

भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

26. हालाँकि याचिकाकर्ताओं ने वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उन्होंने निहित रूप से इस सिद्धांत पर भरोसा किया है। वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत को तब लागू किया जा सकता है जब किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा किए गए अभ्यावेदन से किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो कि वे एक महत्वपूर्ण लाभ के प्राप्तकर्ता होंगे। याचिकाकर्ताओं की शिकायत का एक हिस्सा इस विश्वास से उपजा है कि राज्य के अधिकारियों, केंद्र सरकार के मंत्रियों द्वारा दिया गया आश्वासन एक सचेत नीतिगत निर्णय में परिवर्तित नहीं हुआ, जो 7 नवंबर 2015 के संचार में सन्निहित है। हम ऊपर कह चुके हैं कि अभिव्यक्ति " स्वचालित रूप से "स्पष्ट रूप से संशोधन के लिए एक समय अवधि से जुड़ा नहीं था

पेंशन। लेकिन अगर यह माना जाए कि "स्वतः" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि पेंशन की दरों में संशोधन आवधिक अंतराल के बजाय निरंतर आधार पर होगा, तो सवाल उठता है कि क्या वर्तमान मामले में वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। झारखंड राज्य में v. ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड, रांची 1.5, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें हम में से एक (डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.) एक हिस्सा थे, ने दोनों के बीच सैद्धांतिक अंतर को स्पष्ट किया। प्रतिज्ञात्मक अवरोध और वैध अपेक्षाओं की अवधारणाएँ। पीठ ने कहा कि वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत, एक सार्वजनिक कानून की अवधारणा, राज्य की कार्रवाई में निष्पक्षता और गैर-मनमानेपन के सिद्धांतों पर आधारित है। वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत उभरता है

संविधान के अनुच्छेद 14 का पहलू। दूसरी ओर, प्रोमिसरी एस्टोपेल, एक निजी कानून अवधारणा होने के नाते, लागू किया जा सकता है यदि राज्य के पास है

किसी अन्य संस्था के साथ एक निजी अनुबंध में प्रवेश किया गया लेकिन लागू नहीं होता है जहां राज्य द्वारा अपने सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में एक प्रतिनिधित्व किया गया है। वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत बाद की स्थिति में लागू होता है। यह देखते हुए कि भारत में, दोनों सिद्धांतों को मिला दिया गया है, इस न्यायालय ने विश्लेषण किया कि क्या मौजूदा सरकारी नीति में परिवर्तन उन लोगों की वैध अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है जो पहले ऐसी नीति के दायरे में आते थे। हालाँकि, वर्तमान मामले में, 7 नवंबर 2015 से पहले कोई ठोस सरकारी नीति मौजूद नहीं थी। वहाँ केवल कुछ आश्वासन थे जो द्वारा किए गए थे मंत्री, या जिनका अनुमान रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवृत्त से लगाया जा सकता है। ये आश्वासन इस आशय के भी थे कि ओ. आर. ओ. पी. को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। इसका कार्यान्वयन

अभी काम करना बाकी था। अरुणाचल प्रदेश राज्य में v. नेज़ोन

15 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 968 [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लॉ हाउस 1 6, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि जब

विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के शामिल हैं, एक द्वारा एक मौखिक वादा मंत्री सरकार को बांधता नहीं है। उस मामले में, एक कानून प्रकाशक था

उन्होंने तर्क दिया कि तत्कालीन कानून मंत्री ने प्रकाशक को आश्वासन दिया था कि उससे कुछ किताबें खरीदी जाएंगी। प्रकाशक द्वारा जिस दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया था, वह एक विभागीय नोट था जिसमें संकेत दिया गया था कि

खरीद के संबंध में निर्णय अन्य विभागों और मंत्रालयों की सहमति के अधीन था। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 8. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तथ्यात्मक परिदृश्य दिलचस्प है। द. प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किया गया दस्तावेज़ और उच्च न्यायालय संदर्भित करता है

तत्कालीन कानून मंत्री द्वारा इच्छा की कुछ मौखिक अभिव्यक्ति के लिए। कब

कई विभागों के विचार शामिल थे

वास्तव में प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा, जिस दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया था वह था एक विभागीय नोट के अलावा और कुछ नहीं जो स्वयं स्पष्ट रूप से

इंगित किया कि विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के विचार

उन्हें लिया जाना था और उनकी सहमति प्राप्त की जानी थी।

इसके अलावा, निर्विवाद रूप से कुछ तथ्यात्मक विवाद था

यह पता लगाने के लिए कि क्या इच्छित खरीद मात्रा की थी या सेट की। वहाँ

यह दोनों के बीच वैचारिक अंतर है। किताबें नहीं थीं।

यहाँ तक कि प्रासंगिक समय पर भी मुद्रित किया जाता है। उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया कि केवल एक खंड मुद्रित किया गया था। इसके अलावा आवश्यकता

न्यायिक अधिकारियों के लिए पुस्तकों की खरीद होनी थी

उच्च न्यायालय के परामर्श से मूल्यांकन किया गया। कानून मंत्री उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण लिए बिना नहीं रखा जा सकता था

आदेश देते हैं। किसी भी स्थिति में मात्रा या सेट के बारे में विवाद और

दस्तावेजों में अंतर्वेशन काफी प्रासंगिक था।

दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने इस पहलू को हल्के में दरकिनार कर दिया है।

अपेक्षा मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती थी।

(जोर दिया गया)

27. वर्तमान मामले में, चर्चा के भीतर हुआ

सरकार और यहां तक कि 26 फरवरी 2014 तक, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय के व्यापक मानदंडों को निर्धारित किया गया, जबकि इसके साथ परामर्श में आवश्यक कदम सुनिश्चित करने के लिए इसे सी. जी. डी. ए. पर छोड़ दिया गया।

16 (2008) 5 एस. सी. सी. 609 भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

तीनों सेवाओं और एम. ओ. डी. की वित्त और ई. एस. डब्ल्यू. शाखाओं को "इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए"। बैठक में यह परिकल्पना की गई कि पारिवारिक पेंशनभोगियों और विकलांग पेंशनभोगियों को शामिल किया जाएगा और सेवा द्वारा आवश्यकतानुसार पूर्व सैनिकों से भी उचित परामर्श किया जा सकता है। यह सब स्पष्ट है इस तथ्य का संकेत देते हुए कि सरकार के भीतर होने वाले विकसित निर्णयों में, सटीक तौर-तरीकों का एक सूत्रीकरण जो अपनाया जाना था, अभी तक नहीं हुआ था। यह अंततः 7 नवंबर 2015 को हुआ। इसलिए, 7 नवंबर 2015 के संचार पर इस आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है कि यह केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई नीति के मूल इरादे के विपरीत है। द.

केंद्र सरकार की नीति 7 नवंबर 2015 के संचार में सन्निहित है। सदन के पटल पर दिए गए बयान और मंत्रिस्तरीय समितियों के कार्यवृत्त इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से ओ. आर. ओ. पी. को लागू करने का फैसला किया था, लेकिन इसके कार्यान्वयन का सटीक ढांचा विकसित होने का विषय था सरकार के भीतर चर्चा। 7 नवंबर 2015 के पत्र में दिए गए तौर-तरीकों का निर्माण नीति का प्रतिनिधित्व करता है।

सरकार द्वारा अपनाए गए विकल्प।

28. जबकि 7 नवंबर 2015 का संचार है

सरकार। नीति और कार्यान्वयन के लिए इसके तौर-तरीके ये हैं - जो 7 नवंबर 2015 के संचार में सन्निहित हैं।

सी. 2. भेदभाव की याचिका

29. अनुच्छेद 14 के उल्लंघन पर याचिकाकर्ताओं का निवेदन अनिवार्य रूप से तीन पहलुओं पर आधारित हैः

((i)

कैलेंडर वर्ष 2013 के रूप में पेंशन का निर्धारण होगा।

2014 से पहले सेवानिवृत्त लोगों को एक वेतन वृद्धि की कम पेंशन मिल रही थी। 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सैनिक की तुलना में;

((ख)

न्यूनतम और औसत के आधार पर पेंशन तय करना। 2013 की अधिकतम पेंशन के परिणामस्वरूप एक ही रैंक के लिए अलग-अलग पेंशन और एक ही अवधि की सेवा इस बात पर निर्भर करेगी कि कर्मचारी 31 [2022] 9 एस. सी. आर. से पहले या बाद में सेवानिवृत्त हुए हैं या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिसंबर 2013। वास्तव में, एक उच्च रैंक वाले सैनिक को निम्न रैंक वाले सैनिक की तुलना में कम पेंशन मिलेगी।

सैनिक; और

प्रत्येक पाँच वर्ष में बराबरी की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, वे व्यक्ति जो समय से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एक नुकसान में रखा गया क्योंकि उनकी असमान पेंशन को 2.57 के कारक से गुणा किया जाएगा जबकि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं

1 जनवरी 2014 के बाद उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा जो 2.57 गुना बढ़ जाएगा।

अपने व्यापक हलफनामे के दौरान, संघ ने

ओ. आर. ओ. पी. के तहत 15 साल की योग्यता सेवा के लिए देय पेंशन में असमानता और वास्तविक स्थिति की व्याख्या करने का प्रयास किया।

15 साल की योग्यता सेवा के साथ सिपाही जो में सेवानिवृत्त हुए

ओ. आर. ओ. पी. का अनुप्रयोग। निम्नलिखित व्याख्या थी -

उपरोक्त अनुक्रमणिका 1,2 और 3 के रूप में संलग्न तीन सारणीबद्ध चार्टः

सारणीबद्ध चार्ट 1:

इस तालिका में, याचिकाकर्ता द्वारा की गई तुलना एक सिपाही को देय पेंशन और 15 साल की पेंशन के बीच है।

ओ. आर. ओ. पी. के तहत योग्यता सेवा और 2014 में सेवानिवृत्त हुए सिपाही की वास्तविक पेंशन (ओ. आर. ओ. पी. के आवेदन से पहले)

15 साल की योग्यता सेवा के बाद जो नाइक के पद पर पेंशन प्राप्त कर रहा है, संशोधित आश्वासन कैरियर प्रगति योजना के संचालन के कारण [जिसे इसके बाद के रूप में संदर्भित किया गया है]

' एम. ए. सी. पी. योजना]

रुपये का आंकड़ा। 6,666 यह पी. जी. पर तालिका से लिया गया है। 3 नोट से। रुपये का आंकड़ा। 6665 न्यूनतम और अधिकतम पेंशन की भारित औसत पेंशन को दर्शाता है

2013 सिपाही जो 2013 में 15 साल के कार्यकाल के साथ सेवानिवृत्त हुए

योग्यता सेवा।

रुपये का आंकड़ा। 7,605 यह पी. जी. पर संलग्न पेंशन भुगतान आदेश से लिया गया है। 5 नोट से। पेंशन की गणना सेवानिवृत्ति से पहले प्राप्त अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के आधार पर की जाती है। यह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता हैः

एक्स सेवा आंदोलन और ओआरएस। वी. यूनियन ऑफ ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विशिष्टताएँ

एस. नं.		राशि
	अंतिम भुगतान	
1 .		10,510
	ग्रेड वेतन	
2 .		2,400
		2,000
	एमएसपी	
3 .		
	वर्ग भत्ता	
4 .		
		300
5 .		
	कुल	
6 .		15,210
		7,605
	पेंशन (अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत)	
	भुगतान करें)	

* पी. जी. के आंकड़े। 5 नोट का

योजना, एक रक्षा कर्मी जिसे 8/16/24 वर्षों की नियमित सेवा के लिए पदोन्नत नहीं किया गया है, 8/16/14 के पूरा होने के बाद अगले उच्च श्रेणी के वेतन के अनुदान के लिए पात्र होगा। नियमित सेवा के वर्ष। दूसरे शब्दों में, एक सिपाही जिसे मूल रूप से ग्रेड वेतन के रूप में 2,000 रुपये मिल रहे थे, उसे 8 साल की सेवा (पदोन्नति के बिना) के बाद अगला उच्च वेतन दिया जाएगा।

रुपये का ग्रेड वेतन। 2,400 . रुपये का ग्रेड वेतन। 2,400 आम तौर पर नाइक के ग्रेड वेतन के अनुरूप होता है।

(ङ) इसी तरह, 16 साल की सेवा (पदोन्नति के बिना) के बाद, ऐसे सिपाही को अगले उच्च श्रेणी का वेतन रु।

2,800 . 2, 800 रुपये का ग्रेड वेतन आम तौर पर हवलदार के ग्रेड वेतन के अनुरूप होता है।

(च) एक तार्किक परिणाम के रूप में, विभिन्न सिपाहियों का वेतन (और परिणामस्वरूप पेंशन) इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसे सिपाहियों को एम. ए. सी. पी. योजना का लाभ दिया गया है या नहीं।

(छ) सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों की पेंशन पर एम. ए. सी. पी. योजना की प्रयोज्यता पर परिपत्र [2022] 9 एस. सी. आर. द्वारा विचार किया गया है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

सं. 555 दिनांकित 04.02.2016, जिसमें पैरा 11 (सी) में कहा गया हैः " ..... 11 . इस परिपत्र के प्रावधान सभी पूर्व-आईडी1 पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों पर लागू होंगे और उनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन को उस रैंक, समूह और योग्यता सेवा के संदर्भ में बढ़ाया जाएगा जिसमें उन्हें पेंशन दी गई थी।

ध्यान देंः

ए)।

बी)।

ग) ए. जे. सी. ओ. एस./ओ. आर. पेंशनभोगी, जो एक विशेष रैंक के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें ए. सी. पी.-I दिया गया है, वे संशोधन के लिए पात्र होंगे।

अगले उच्च पद की पेंशन; यदि एसीपी-II को मंजूरी दी गई है, तो वह अगले उच्च पद की पेंशन में संशोधन के लिए पात्र होगा।

ए. सी. पी.-I का पद और यदि ए. सी. पी.-III दिया गया है, तो वह ए. सी. पी. के अगले उच्च पद की पेंशन में संशोधन के लिए पात्र होगा।

II डब्ल्यू. ई. एफ. 01.07.2014।

इसलिए, अलग-अलग पेंशन राशि प्राप्त करने वाले दो सिपाहियों का उदाहरण एम. ए. सी. पी. के संचालन के कारण है और ओ. आर. ओ. पी. योजना के संचालन के कारण नहीं है। (ज) यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि एम. ए. सी. पी. योजना केवल एक ऐसा कारक है जो सिपाही द्वारा लिए गए वेतन को प्रभावित करता है। अन्य कारकों में पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि शामिल हैं।

ख. सारणीबद्ध चार्ट 2: (क) इस चार्ट में, एक नायक की पेंशन की तुलना हवालदार की पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति से की गई है।

एम ए सी पी योजना। (ख) रु. का आंकड़ा। 7,170 यह पी. जी. पर तालिका से लिया गया है। 4 नोट से। रुपये का आंकड़ा।

7,170 भारित एक्स सर्विस मूवमेंट और ओआरएस को दर्शाता है। वी. यूनियन ऑफ ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

2013 . ((ग) रु. का आंकड़ा। 8,295 पेंशन से प्राप्त होता है

पी. जी. पर भुगतान आदेश संलग्न है। 6 नोट पेंशन का है

पिछली बार दिए गए वेतन के 50 प्रतिशत के आधार पर गणना की गई

सेवानिवृत्ति। यह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जा सकता हैः

एस. नं.

विशिष्टताएँ

राशि

अंतिम भुगतान

11,490

1 .

ग्रेड वेतन

2,800

2 . 3 .

एमएसपी

2,000

वर्ग भत्ता

4 .

300

5 .

16,590

कुल

पेंशन (अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत)

8,295

6 .

भुगतान करें)

(घ) अब, एम. ए. सी. पी. योजना के संचालन के कारण, नाइक (ग्रेड वेतन रु। 2, 400) वास्तव में 2800 रुपये का अगला उच्च श्रेणी वेतन प्राप्त कर रहा है, जो हवलदार के श्रेणी वेतन के अनुरूप है। यह वही सिद्धांत है, जो सारणीबद्ध चार्ट 1 में पेंशन में अंतर का आधार था।

ग. सारणीबद्ध चार्ट III (क) सारणीबद्ध चार्ट III समूह की श्रेणी से संबंधित है।

28.02.2015 . यह बताना महत्वपूर्ण है कि ओ. आर. ओ. पी. योजना ग्रुप कैप्टन डेनियल विक्टर पर लागू नहीं थी। (ङ) इसलिए, याचिकाकर्ता ने हाल ही में सेवानिवृत्त हुए एक व्यक्ति की पेंशन पर भरोसा करके इस माननीय न्यायालय को गुमराह किया है, जिसे ओ. आर. ओ. पी. योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। ग्रुप कैप्टन डेनियल विक्टर का पी. पी. ओ. नंबर 08/14/1 114/2015 [2022] 9 एस. सी. आर है।

18. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पी. जी. में तालिकाओं का उल्लेख करके कथित असमानताओं को इंगित करने में त्रुटि। 1 में से नोट निम्नलिखित कारणों से हैं, अन्य बातों के साथः

(ii) भारित औसत पेंशन 2013 तक सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मियों की तुलना में सबसे कम/न्यूनतम राशि को दर्शाती है। ओ. आर. ओ. पी. पेंशन के रूप में पाने का हकदार है। जबकि, 2014 में सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों की वास्तविक पेंशन (ओ. आर. ओ. पी. के प्रभाव के बिना) अंतिम वेतन पर आधारित है। वास्तविक पेंशन की यह राशि (विभिन्न कारकों के कारण) अधिक हो सकती है, लेकिन भारित औसत पेंशन से कम नहीं हो सकती है।

उस स्थिति में, पेंशन को भारित औसत पेंशन (ओ. आर. ओ. पी.) के स्तर तक बढ़ाया जाएगा (संरक्षित)। (iii) दूसरे शब्दों में, रुपये की पेंशन राशि। 6,665 क्या किसी भी सिपाही की न्यूनतम निर्धारित बेंचमार्क राशि है

(15 साल की योग्यता सेवा के साथ) ओ. आर. ओ. पी. के तहत मिलेगा।

नोट के पृष्ठ 3 पर तालिका संख्या 7 के अनुसार। इसलिए, समान वेतन और समान अवधि की सेवा वाले किसी भी सिपाही को रुपये से कम राशि नहीं मिलेगी। 6,665 ओ. आर. ओ. पी. के तहत न्यूनतम निर्धारित मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए तय किया गया है कि 2013 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सभी रक्षा कर्मियों को कम से कम न्यूनतम निर्धारित पेंशन प्राप्त हो। मानक निर्धारण

((iv) याचिकाकर्ता की व्याख्या बराबरी करने का प्रयास है। समान सेवा अवधि वाले समान रैंक के रक्षा कर्मियों द्वारा प्राप्त उच्चतम पेंशन वाले प्रत्येक रक्षा कर्मियों की पेंशन। इस तरह की व्याख्या पूरी तरह से मनमाना परिभाषा है कि ओ. आर. ओ. पी. कैसे होना चाहिए।

लागू किया गया "। भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

31. सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने कहा

एक और शपथ पत्र दर्ज करें। हलफनामे में तीनों में रक्षा कर्मियों को एम. ए. सी. पी. लाभों के अनुदान की स्थिति को दर्ज किया गया है।

सेवाएँ। 2013 के लिए नमूना डेटा जो गणना के लिए आधार वर्ष था, रिकॉर्ड पर रखा गया है और नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

... .(v) इसी तरह, एक सिपाही जिसे पहली बार में पदोन्नत किया जाता है

नाइक के रूप में अपने स्वाभाविक पाठ्यक्रम में लेकिन के लिए पदोन्नत नहीं होता है

बाद के रैंक (जो गैर-उपलब्धता के कारण हो सकते हैं)

रिक्तियां या ठहराव) एम. ए. सी. पी. के हकदार होंगे।

उन श्रेणियों का उन्नयन।

(vi) यह भी सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि सीमा की शर्त

एम. ए. सी. पी. के लिए अर्हता प्राप्त करना आवश्यक लंबाई का पूरा होना है

सेवा करते हैं। नतीजतन, जो आवश्यक लंबाई को पूरा करता है

सेवा स्वचालित रूप से एम. ए. सी. पी. के लिए अर्हता प्राप्त करेगी जब तक कि अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही या प्रदर्शन के कारण प्रतिबंधित।

(vii) यह भी सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि सीमा की शर्त

एम. ए. सी. पी. के लिए अर्हता प्राप्त करना आवश्यक लंबाई का पूरा होना है

सेवा करते हैं। नतीजतन, जो आवश्यक लंबाई को पूरा करता है

सेवा स्वचालित रूप से एम. ए. सी. पी. के लिए अर्हता प्राप्त करेगी जब तक कि अन्यथा

अनुशासनात्मक कार्यवाही या प्रदर्शन के कारण प्रतिबंधित।

(viii) इसलिए यह स्पष्ट है कि एक सिपाही जो ऐसा नहीं करता है 8 वर्ष और एक वर्ष की सेवा की आवश्यक अवधि को पूरा करें।

जिसने इसे पूरा किया, उसके तहत एक साथ बेंचमार्क नहीं किया जा सकता है

(ix) 3 साल का सिपाही और 8 साल पार करने वाला सिपाही। एम. ए. सी. पी. के लिए अर्हता प्राप्त करना ओ. आर. ओ. पी. उद्देश्य के लिए भी समान नहीं है क्योंकि

वे "सेवा की समान अवधि" के मानदंडों के योग्य नहीं हैं।

(जोर दिया गया)

दोनों सिपाहियों की पेंशन में अंतर बताते हुए,

केंद्र सरकार ने कहा कि यह एम. ए. सी. पी. योजना के लागू होने के कारण था। बाद के हलफनामे में, कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है जिन्हें व्यापक हलफनामे में समझाया जाना बाकी है।

C. 2.1 एसीपी-एमएसीपी

32 2013 में ए. सी. पी. व्यवस्था लागू की गई थी। संदर्भ में

योजना, दस साल की सेवा पूरी होने पर एक सिपाही एस. सी. आर. के उद्देश्य से नाइक में अपग्रेड किया गया।

लाभ होता है। 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद, एक हवलदार के वेतन में और 30 साल की सेवा के बाद, एक नायब सूबेदार के रूप में और उन्नयन होगा। हालाँकि इस योजना को 2014 से लागू किया गया था, लेकिन 10 के मानदंडों को लागू करके लाभ को पूर्वव्यापी रूप से बढ़ाया गया थाः 20: 30 क्रमशः सेवा के वर्ष। इसलिए, 2013 में तीस साल की सेवा वाले सिपाही को वेतन, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों के लिए नायब सूबेदार के साथ समूहीकृत किया गया था। इस प्रकार ए. सी. पी. योजना में 1973 के समय में वापस आने वाले रक्षा कर्मियों को शामिल किया गया।

33. 11 अक्टूबर 2008 को सेना के निर्देश संख्या 1/एस/2008 द्वारा एम. ए. सी. पी. योजना लागू की गई थी। योजना के संदर्भ में, 10 की पिछली समय सीमाः 20: 30 उन्नयन के लिए सेवा के वर्षों को संशोधित कर 8 कर दिया गयाः 16: 24 वेतन, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों के संदर्भ में लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष। भारत संघ बनाम में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए। एम. ए. सी. पी. योजना 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गई थी। यद्यपि एम. ए. सी. पी. योजना 1 जनवरी 2006 से चालू की गई थी, लेकिन इसका पूर्वव्यापी प्रभाव था जिसके परिणामस्वरूप कोई भी व्यक्ति जो सेवा में था और 8 की सीमा आवश्यकता के साथ योग्य थाः 16: 24 सेवा के वर्षों को वेतन, पेंशन और पेंशन के उद्देश्य से संबंधित रैंक उन्नयन के साथ समूहीकृत किया गया।

अन्य लाभ। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, केंद्र सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष हलफनामे पर कहा है कि ओ. आर. ओ. पी. की गणना करने के उद्देश्य से

लाभ के लिए, इसने एम. ए. सी. पी. को आधार के रूप में लिया है और इसे समान अवधि की सेवा वाले सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पूरे बोर्ड में लागू किया है। दूसरे शब्दों में, ओ. आर. ओ. पी. की गणना दो भागों में नहीं की गई थी जिसमें ए. सी. पी. शासन और एम. ए. सी. पी. शासन शामिल थे। इस संदर्भ में, ओ. आर. ओ. पी. की गणना करने के लिए तालिका में संलग्न नोट VI पर निर्भरता रखी गई है। नोट VI इस प्रकार है

निम्नलिखित हैः

" ए. सी. पी./एम. ए. सी. पी. योजना के तहत जे. सी. ओ./ओ. आर. एस. के उन्नयन के लिए दी गई पेंशन को उस रैंक के संदर्भ में संशोधित किया जाएगा जिसके लिए

ए. सी. पी./एम. ए. सी. पी. प्रदान किया गया था।

34. उपरोक्त परिसरों में, यह प्रस्तुत किया गया है कि एम. ए. सी. पी./ए. सी. पी. के आधार पर कोई असमानता पेश नहीं की गई है और मूल मूल्य

समान सेवा अवधि के साथ समान पद से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के लिए समान पेंशन का प्रावधान बिना किसी असमानता के बनाए रखा जाता है।

C. 2.2 वित्तीय प्रभाव

35. केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि जिस समय ओ. आर. ओ. पी. लागू किया गया था, उस समय वार्षिक वित्तीय प्रभाव था

17 (2018) 11 एस. सी. सी. 99 भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओ. आर. एस. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

7, 123.38 करोड़ रुपये की राशि। 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 की अवधि के लिए वास्तविक बकाया राशि का भुगतान किया जाना था।

रिक्तियों की उपलब्धता, ऐसे सिपाही केवल उन रैंकों के लिए एम. ए. सी. पी. उन्नयन के हकदार होंगे। एम. ए. सी. पी. के अनुदान के लिए सीमा आवश्यकता सेवा की एक निर्दिष्ट अवधि को पूरा करना है। एक सिपाही जो सेवा की आवश्यक अवधि को पूरा नहीं करता है, इसलिए एम. ए. सी. पी. लाभों के अनुदान के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बेंचमार्क नहीं किया जा सकता है जो सेवा की निर्धारित अवधि को पूरा करता है। दूसरे शब्दों में, तीन साल की सेवा वाला सिपाही और आठ साल की सेवा प्राप्त करके एम. ए. सी. पी. के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सिपाही को ओ. आर. ओ. पी. उद्देश्यों के बाद भी समान नहीं माना जाता है क्योंकि दोनों की सेवा अवधि नायब सूबेदार के पिछले पद से समान नहीं थी। केंद्र सरकार के अनुसार, यदि गैर-एम. ए. सी. पी. कर्मियों को ओ. आर. ओ. पी. के भुगतान के लिए एम. ए. सी. पी. कर्मियों के साथ समूहबद्ध किया जाता है, 2014 से कुल वित्तीय बहिर्वाह 42 रुपये के दायरे में होगा।

करोड़। यदि गैर-एम. ए. सी. पी. व्यक्तियों को एम. ए. सी. पी. के साथ मिलान करने की आवश्यकता होती है, तो 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक की अवधि के लिए वित्तीय प्रभाव 13,000 करोड़ रुपये होगा। यदि ऐसा लाभ दिया जाता है, तो सातवें वेतन आयोग के तहत 2021 के लिए वित्तीय निहितार्थ के लिए 2.57 के रूपांतरण कारक की आवश्यकता होगी, जिसके अलावा 31 प्रतिशत डी. आर. देय होगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह कहा गया है कि जब ओ. आर. ओ. पी

लागू किए जाने पर, वार्षिक वित्तीय प्रभाव रु. [2022] 9 एस. सी. आर. की राशि में था।

7, 123.38 करोड़। यदि गैर-एम. ए. सी. पी. कर्मियों का एम. ए. सी. पी. कर्मियों के साथ मिलान किया जाता है, तो यह आंकड़ा बढ़कर 9,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। इसके आधार पर संघ द्वारा निम्नलिखित सारणी प्रस्तुत की गई है

गैर-एम. ए. सी. पी. के कुल बहिर्गमन का संकेत देने वाले हलफनामे पर सरकार का एम. ए. सी. पी. के साथ मिलान किया जाना थाः

वित्तीय 9 का अंतर, 411.71-7123.38 करोड़

2288.33

करोड़।

प्रति वर्ष प्रभाव

1.07.2014। 2288.33 करोड़ x डेढ़ साल से और बकाया

3432.49

करोड़।

31.12.2015 तक

7 वें सी. पी. सी. में रूपांतरण

2288.33 सीआर एक्स। 2.57 समय

5881.00

करोड़।

5881.00 करोड़ x 6 वर्षों से

35,286 करोड़।

अतिरिक्त बकाया

01.01.2016

डी. आर. बकाया 01.01.2016 से 5881 करोड़/12 x 8.28

4057.89

करोड़।

31.12.2021 कुल अतिरिक्त बकाया

42, 776.38

करोड़।

3432.49 + 35286.00 + 4057.89

सी. 2. 3 औसत से अधिकतम

36. न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि सी. जी. डी. ए. कार्य समिति ने वर्ष 2013 में ओ. आर. ओ. पी. के लिए चार विकल्पों पर विचार किया था। चार विकल्पों में से चौथा विकल्प वर्तमान सेवानिवृत्त लोगों की अधिकतम पेंशन के आधार पर था, जो सेवाओं द्वारा प्रस्तावित किया गया था। समिति ने नोट किया कि चौथे विकल्प (वर्तमान सेवानिवृत्त लोगों की अधिकतम पेंशन) का वित्तीय प्रभाव प्रति वर्ष 14 करोड़ रुपये था।

वर्ष और कुल बकाया राशि जो इस आधार पर देय होगी, 1,45,339.34 करोड़ रुपये की राशि में होगी, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

वित्तीय अंतर 14898.34 करोड़-7123.38 करोड़

7774.96 क्र.

प्रति वर्ष प्रभावः

7774.96 करोड़ x 1.5 से। वर्षों

इसके अलावा

11662,44 क्र.

बकाया राशि

01.07.2014 31.12.2015 तक 7 वें सी. पी. सी. में रूपांतरणः

19981.60 क्र.

7774.96 करोड़ x 2.57 गुना

19981.60 करोड़ x 6 वर्षों से

इसके अलावा

119889.60 क्र.

बकाया राशि

01.01.2016 31.12.2021 तक डी. आर. बकाया 01.01.2016 से 19981.60 सी. आर./12x 8.28 तक

13787.30 क्र.

31.12.2021 इस प्रकार कुल अतिरिक्त बकाया

11662.44 करोड़ + 119889.60 करोड़ + आई. एन. आर. 145339.34 करोड़

13787.30

C. 2.4 हर पाँच साल में आवधिक संशोधन

37. याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुत करने का केंद्रीय अंग यह है कि

ओ. आर. ओ. पी. का संशोधन स्वतः होना चाहिए। केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है कि किसी भी पूर्व उदाहरण की कमी के अलावा, वेतनमान, पेंशन और अन्य वित्तीय परिलब्धियों को नियंत्रित करने की प्रथा के संदर्भ में

सरकारी कर्मचारियों, स्वचालित संशोधन असंभव होगा

लागू करें। उपरोक्त विचार के अलावा, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन तीन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है

अर्थात् (i) कोश्यारी समिति की रिपोर्ट; (ii) 26 फरवरी 2014 को रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवृत्त; और (iii) 26 फरवरी 2014 को सी. जी. डी. ए. को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि भविष्य में पेंशन की दरों में कोई भी वृद्धि स्वतः ही पारित हो जाएगी।

पिछले पेंशनभोगियों के लिए "। "स्वचालित रूप से पारित किया जाना" अभिव्यक्ति तुरंत "पेंशन की दरों में भविष्य में कोई वृद्धि" शब्दों का अनुसरण करती है। जब प्रासंगिक रूप से एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह दर्शाता है कि पेंशन की दरें बिना किसी प्रशासनिक बाधाओं के पिछले पेंशनभोगियों को दी जाएंगी। 'स्वचालित रूप से पारित' अभिव्यक्ति को किसी भी अवधि के संदर्भ में प्रतिबद्धता के रूप में नहीं माना जा सकता है

लाभों की गणना के लिए समय। पेंशन, वेतन और अन्य वित्तीय लाभों में किस तरह और किस अवधि में संशोधन किया जाना चाहिए, यह विशुद्ध रूप से नीति का सवाल है। केंद्रीय [2022] 9 एस. सी. आर. का निर्णय।

हर पाँच साल में पेंशन में संशोधन करने वाली सरकार को अनुच्छेद 14 के अंतर्निहित नियमों का उल्लंघन करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

38. केंद्र सरकार द्वारा किए गए नीतिगत विकल्पों को इस संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए कि रक्षा पेंशन के लिए अनुमानित बजट आवंटन 1,33,825 करोड़ रुपये है जो 2020-2021 के लिए कुल रक्षा बजट अनुमान 4,71,378 करोड़ रुपये का 28.39 प्रतिशत है। इसमें वेतन पर बजट शामिल नहीं है जो 2020-2021 के लिए कुल रक्षा बजट अनुमानों का 34.89 प्रतिशत है। इस प्रकार वेतन और पेंशन कुल रक्षा बजट अनुमानों का लगभग 63 प्रतिशत है। नीतिगत विकल्प चुनने में, केंद्र सरकार को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने और वित्तीय लाभों के अनुदान में संशोधन करने का अधिकार है ताकि अलग-अलग प्राथमिकताओं को कम करके संतुलित किया जा सके।

39. नकारा (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले में, संविधान पीठ इस मुद्दे पर निर्णय ले रही थी कि क्या सेवानिवृत्ति की तारीख होगी

सेवानिवृत्ति से पहले छत्तीस महीने की अवधि के दौरान औसत परिलब्धियों से संबंधित। एक उदारीकृत योजना द्वारा, उपरोक्त पहलुओं के साथ सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले की अवधि को औसतन दस महीने तक कम कर दिया गया था। गणना के लिए एक स्लैब प्रणाली शुरू की गई थी और छत को ऊँचा किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए पात्रता के मानदंडों का मनमाने ढंग से चयन करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, इस न्यायालय ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों ने एक सजातीय वर्ग का गठन किया और जहां पेंशन की मौजूदा योजना को उदार बनाया गया था, वहां एक निर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता था। साथ ही, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नकारा (उपरोक्त) में निर्णय में उल्लेख किया गया है कि "ऐसे मामलों में वित्तीय निहितार्थ की कुछ प्रासंगिकता है"।

इस न्यायालय ने एक पूर्व सेवा आंदोलन और ओ. आर. एस. को खारिज कर दिया। वी. यूनियन ऑफ डी. आई. ए. एंड ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]उस ज्ञापन का प्रावधान जिसके द्वारा योजना पर उदारीकृत लोगों का लाभ केवल नियत तिथि को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित था, जिसके परिणामस्वरूप सभी सेवानिवृत्त लोगों को लाभ दिया गया, जो सेवानिवृत्ति की तारीख से प्रभावी था। इसे इस प्रकार देखा गयाः

" 63. इस तरह के मामलों में वित्तीय निहितार्थ कुछ हैं

प्रासंगिकता। लेकिन इस संबंध में, हम एक गलत धारणा से बचना चाहते हैं। कोई पेंशन कोष नहीं है क्योंकि यह या तो विदेशों में प्रशासित अंशदायी पेंशन योजनाओं में या बीमा से जुड़ी पेंशनों में पाया जाता है। 1972 के नियमों के तहत गैर-अंशदायी पेंशन राज्य का दायित्व है। यह पेंशनभोगियों की संख्या और अनुमानित व्यय के आधार पर साल-दर-साल मतदान की जाने वाली व्यय की एक वस्तु है। अब जब उदारीकृत पेंशन योजना शुरू की गई थी, तो हम उचित रूप से मान लेंगे कि सरकारी कर्मचारी योजना के संचालन में आने के अगले दिन से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और बोझ को कम करना होगा। उदारीकृत योजना द्वारा लगाए गए अनुसार गणना की गई। इसके अलावा

सरकार लगभग एक दशक से अनुदान दे रही है।

समय-समय पर पेंशनभोगियों के लिए अस्थायी वृद्धि।

इसलिए, अंतर मामूली होगा। इसके अलावा, यह नहीं भूलना चाहिए कि पुराने पेंशनभोगी बाहर निकलने वाले हैं और उनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। वित्तीय स्थिति की जांच करते हुए

निहितार्थ, यह न्यायालय केवल उस अतिरिक्त दायित्व से संबंधित है जो 1 अप्रैल, 1979 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों को उदारीकृत पेंशन योजना के दायरे में लाकर लगाया जा सकता है, लेकिन निर्दिष्ट तिथि के बाद प्रभावी हो सकता है। यह निर्विवाद है कि यह एक घटती संख्या है। और फिर से बड़े पैमाने पर सेवा के निचले क्षेत्रों जैसे कि चपरासी, एल. डी. सी., यू. डी. सी., सहायक आदि के पेंशनभोगी शामिल हैं। हमें प्रस्तुत किए गए एक चार्ट में, भारत संघ ने उन पेंशनभोगियों के लिए पेंशन पर काम किया है जो निर्दिष्ट तिथि से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और तुलनात्मक

लाभ, यदि उन्हें इसके दायरे में लाया जाता है

उदारीकृत पेंशन योजना। स्तर तक का अंतर

सहायक या यहाँ तक कि अनुभाग अधिकारी भी मामूली रख-रखाव वाला है।

देखें कि पुराने पेंशनभोगियों को अस्थायी वेतन मिल रहा है

बढ़ जाता है। उच्च अधिकारियों में से कुछ होंगे

अंतर क्योंकि छत को उठाया गया है और वह होगा

अंतर का परिचय दें। हालाँकि, उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किए गए एक आंकड़े का उल्लेख करना आवश्यक है। यह कहा गया था कि यदि 31 मार्च, 1979 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों को एस. सी. आर. 9 के दायरे में लाया जाता है।

उदारीकृत पेंशन योजना के लिए 233 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। नए आवागमन के लिए। प्रस्तुतिकरण में स्पष्ट भ्रांति है

कि यदि परिवर्त्तन का लाभ पहले से ही लिया जा चुका है, तो यह नहीं हो सकता है

और इसे फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है। और अन्य लाभों की उपलब्धता है

शायद ही कोई प्रासंगिक कारक है क्योंकि पेंशन सभी के लिए स्वीकार्य है।

सेवानिवृत्त। प्रस्तुत किए गए आंकड़े इस प्रकार न तो भयावह हैं। न ही दायित्व को चौंका देने वाला माना जाता है जो

हमें तार्किक और संवैधानिक की ओर ले जाने से रोकें

लेकिन यह मानता है कि प्रत्येक पेंशनभोगी आज तक जीवित रहा है और जीवित रहेंगे। इसलिए हम संतुष्ट हैं।

कि इस निर्णय के परिणामस्वरूप दायित्व में वृद्धि असहनीय होने के लिए बहुत ऊँचा नहीं है या ऐसा नहीं है कि

सरकार को पुराने पेंशनभोगियों को कवर करने से रोक दिया योजना के तहत "।

(जोर दिया गया)

40. नकारा (ऊपर) में तथ्यात्मक मैट्रिक्स के विपरीत, जहाँ

उदारीकृत पेंशन योजना उन कर्मचारियों पर लागू नहीं की गई थी जो कटौती की तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, इस मामले में ओ. आर. ओ. पी. सिद्धांत सभी सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों पर लागू होता है, चाहे सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। कटौती की तारीख केवल पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार वेतन को निर्धारित करने के लिए निर्धारित की गई है। जबकि 2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए, अंतिम प्राप्त वेतन का उपयोग पेंशन की गणना के लिए किया जाता है; 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों के लिए, 2013 में प्राप्त वेतन का औसत उपयोग किया जाता है। यह नीति केवल उन लोगों की रक्षा करने का प्रयास करती है जो 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे क्योंकि पूर्व सेवानिवृत्त लोगों का अंतिम वेतन बहुत कम और 2014 के सेवानिवृत्त लोगों के वेतन से अतुलनीय हो सकता है। इसके अलावा, यदि प्राप्त अधिकतम वेतन का उपयोग औसत वेतन लेने के बजाय आधार मूल्य के रूप में किया जाना है, तो 1,45,339.34 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय किया जाएगा। इसलिए कार्यपालिका नीति निर्धारित करने के लिए अपनी सीमा के भीतर है।

वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए।

41. कृष्ण कुमार (ऊपर) में, इस की एक संविधान पीठ

अदालत ने इस मुद्दे पर फैसला किया कि क्या पेंशन योजना की पात्रता के लिए एक कट-ऑफ तिथि का निर्धारण मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। 1957 से पहले, रेलवे में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए एकमात्र योजना भविष्य निधि योजना थी। इस योजना को 1957 में पेंशन योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओआरएस में सेवा देने वाले सभी कर्मचारी। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

1 अप्रैल 1957 को या उसके बाद रेलवे स्वचालित रूप से पेंशन योजना के दायरे में आ गया था। जो लोग 1 अप्रैल 1957 से पहले सेवा में थे, उन्हें पेंशन लाभ लेने का विकल्प दिया गया था। अपीलार्थियों का तर्क था कि 1 अप्रैल 1957 तक भविष्य निधि योजना और पेंशन योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभों में कोई अंतर नहीं था। हालाँकि, यह तर्क दिया गया कि 1957 और 1987 के बीच, पेंशन लाभों को विभिन्न तरीकों से बढ़ाया गया था, जबकि भविष्य निधि योजना के तहत लाभों को नहीं बढ़ाया गया था। याचिकाओं को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि न तो कटौती की तारीख का निर्धारण और न ही सेवानिवृत्त लोगों (पेंशनभोगियों और भविष्य निधि धारकों) के दो वर्गों का निर्माण नकारा (उपरोक्त) में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत था। यह इस प्रकार देखा गयाः

" 32. नकारा में [(1983) 1 एस. सी. सी. 305: 1983 एससीसी (एल एंड एस) 145: (1983) 2 एस. सी. आर. 165] यह कभी नहीं माना गया कि दोनों पेंशन सेवानिवृत्त और

पी. एफ. सेवानिवृत्त लोगों ने एक सजातीय वर्ग का गठन किया और यह कि आगे

उनके बीच वर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। उस पर

दूसरी ओर न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह "निधि" की समस्या से नहीं निपट रहा था। रेलवे अंशदायी भविष्य निधि

निधि परिभाषा के अनुसार एक निधि है। इसके अलावा सरकार ने

सी. पी. एफ. योजना के तहत एक कर्मचारी के प्रति दायित्व देना

समान योगदान उसके खाते में आते ही शुरू हो जाता है।

खोला और उनकी सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त होता है जब उनके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

भविष्य निधि के संबंध में सरकार अंततः स्पष्टीकृत और उसके बाद कोई वैधानिक दायित्व जारी नहीं रहता है।

क्या अभी भी कोई नैतिक दायित्व बना हुआ है, यह अलग है।

बात है। दूसरी ओर पेंशन योजना के तहत

सरकार का दायित्व तब तक शुरू नहीं होता जब तक कर्मचारी सेवानिवृत्त नहीं हो जाता है और यह कर्मचारी की मृत्यु तक जारी रहता है।

इस प्रकार, एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर सरकार की कानूनी

भविष्य निधि खाते के तहत दायित्व समाप्त हो जाता है जबकि

पेंशन योजना शुरू होती है। भविष्यवक्ता को नियंत्रित करने वाले नियम

निधि और इसका योगदान पूरी तरह से अलग है पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियम। इसलिए, यह नहीं होगा

अंततः अपनी सेवानिवृत्ति पर स्पष्ट हो गया जिसके बाद कोई निरंतरता नहीं रही दूसरी ओर, जहां तक पेंशन सेवानिवृत्त लोगों का संबंध है, दायित्व उनकी मृत्यु तक जारी रहा।

सेवानिवृत पेंशनभोगियों के संबंध में राज्य का दायित्व प्रतिकूल है

रुपये के मूल्य में गिरावट और बढ़ती कीमतों से प्रभावित जो,

पी. एफ. सेवानिवृत्त लोगों द्वारा पहले से प्राप्त कोष वे नहीं होंगे

इसलिए इप्सो फैक्टो को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

कि यह नकारा [(1983) 1 एस. सी. सी. 305 में अनुपात निर्णय था।

: 1983 एससीसी (एल एंड एस) 145: (1983) 2 एस. सी. आर. 165] कि राज्य का

अपने पी. एफ. सेवानिवृत्त लोगों के प्रति दायित्व उतना ही होना चाहिए जितना कि

सेवानिवृत पेंशनभोगियों की ओर। एक काल्पनिक परिभाषा

सभी सरकारी सेवानिवृत्त लोगों को एक वर्ग में शामिल करने का दायित्व

तय नहीं किया गया था और किसी के लिए आधार नहीं बना सका

इस मामले के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण। नकारा [(1983)

1 एससीसी 305: 1983 एससीसी (एल एंड एस) 145: (1983) 2 एससीआर 165]

इसलिए, इस मामले के लिए प्राधिकरण नहीं हो सकता है। 34. याचिकाकर्ताओं का अगला तर्क है कि विकल्प दिया गया है

पी. एफ. कर्मचारियों को पेंशन योजना में बदलने के लिए

एक निर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि से प्रभाव लेख के उल्लंघन के रूप में बुरा है

14 संविधान का उन्हीं कारणों से जिसके लिए

नकारा में [(1983) 1 एस. सी. सी. 305: 1983 एससीसी (एल एंड एस) 145: (1983) 2

एस. सी. आर. 165] अधिसूचना को पढ़ा गया। हमने निकाला है

बारहवाँ विकल्प पत्र। इस तर्क को देखते हुए यह तर्क गलत है

तथ्य यह है कि पेंशन सेवानिवृत्त लोगों के मामले में जो जीवित हैं सरकार का एक निरंतर दायित्व है और यदि कोई प्रभावित होता है

अन्य लोगों की भी इसी तरह से महँगाई प्रभावित हो सकती है। पी. एफ. के मामले में

प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को सेवानिवृत्त करने की तारीख को अंततः स्पष्टीकृत किया गया है

सेवानिवृत्ति और पी. एफ. लाभों की प्राप्ति और कोई निरंतरता नहीं

इसके बाद दायित्व के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता था

जीवित पेंशनभोगी। पी. एफ. सेवानिवृत्त व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के बाद कोष कैसे

कीमतों से प्रभावित या लाभान्वित था और ब्याज वृद्धि नहीं हुई थी

रेलवे द्वारा किसी भी तरह का ध्यान रखा। यह प्रत्येक मामले में दिखाई देता है

विकल्प की निर्दिष्ट तिथि वस्तुओं के लिए एक निश्चित संबंध रखती है

विकल्प देकर हासिल करने की कोशिश की गई। एक बार प्रयोग करने के बाद विकल्प

कहा गया कि यह अंतिम था। विकल्प इसके विपरीत भी प्रयोग किए जा सकते थे।

(जोर दिया गया)

42. इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग (ऊपर) में, यह तर्क दिया गया था

नकारा (ऊपर) में निर्णय के दृष्टिकोण से, सभी सेवानिवृत्त जिन्होंने

सेवानिवृत्ति की तारीख चाहे जो भी हो, उसी रैंक को प्राप्त करना चाहिए।

पेंशन का नहीं। इस न्यायालय ने कहा कि नकारा ए) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलार्थियों के इस दावे का समर्थन करता हो कि वही पेंशन भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओआरएस है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एक ही पद के सभी सेवानिवृत्त लोगों को दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि नाका (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पेंशन की गणना के लिए केवल एक ही सूत्र का उपयोग किया जाना था और कहीं भी सेवानिवृत्त लोगों के परिलब्धियों को संशोधित नहीं किया गया था। नकारा (ऊपर) में अनुपात निर्णय को निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया थाः

" 12. उदारीकृत पेंशन योजना जिसके संदर्भ में

निर्णय नकारा [(1983) 1 एस. सी. सी. 305 में दिया गया थाः 1983 एससीसी (एल एंड एस) 145: (1983) 2 एस. सी. आर. 165] की गणना के लिए प्रदान किया गया

एक अधिक उदार सूत्र के अनुसार पेंशन जिसके तहत "औसत"

पिछले दस के संदर्भ में परिलब्धियों का निर्धारण किया गया था।

पहले दिए गए 36 महीने के वेतन के बजाय महीने का वेतन

एक उच्च औसत, एक स्लैब प्रणाली के साथ और छत को ऊपर उठाना

पेंशन की सीमा। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ का तरीका पेंशन की गणना को एक निर्दिष्ट तिथि से उदार बनाया जाता है, इसकी

लाभ केवल उसके बाद सेवानिवृत्त होने वालों को ही नहीं दिया जाना चाहिए

तारीख लेकिन पहले के मौजूदा सेवानिवृत्त लोगों के लिए भी उनकी तारीख की परवाह किए बिना सेवानिवृत्ति भले ही पहले सेवानिवृत्त होने वाले हकदार नहीं होंगे

संशोधित के आधार पर निर्दिष्ट तिथि से पहले किसी भी बकाया के लिए

उदारीकृत सूत्र के अनुसार की गई गणना। इसके लिए

उस वर्ग के भीतर आगे विभाजन की अनुमति नहीं है। के अनुसार उस निर्णय के लिए, पहले के सभी सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन थी

निर्दिष्ट तिथि के अनुसार पुनः संगणित किया जाए

के आधार पर गणना का उदारीकृत सूत्र प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति की उसकी तिथि पर देय औसत परिलब्धि

सेवानिवृत्ति। इस उद्देश्य के लिए कोई संशोधन नहीं किया गया था

इस योजना के तहत पूर्व सेवानिवृत्त लोगों का वेतन। यह. स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि पेंशनभोगी एक वर्ग बनाते हैं, तो उनका

गणना असमान मानकों वाले अलग-अलग सूत्र से नहीं की जा सकती है।

बाद में सेवानिवृत्त हुए। हमारे अनुसार यह निर्णय है। नकारा में [(1983) 1 एस. सी. सी. 305: 1983 एससीसी (एल एंड एस) 145: (1983) 2

एस. सी. आर. 165] और अधिक नहीं। "

(जोर दिया गया)

यह देखा गया कि नकारा (उपरोक्त) में निर्णय का प्रभाव

यह था कि उदारीकृत सूत्र के अनुसार वही गणना 1 अप्रैल 1979 से पहले और बाद के सेवानिवृत्त लोगों पर लागू होनी चाहिए और [2022] 9 एस. सी. आर.

इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि पेंशन की समान राशि

प्राप्त करने योग्य हों।

43. के. एल. राठी बनाम भारत संघ 1 8, नकारा ए) में निर्णय को निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया थाः

" 6. नाकाड़ा मामला एक सेवानिवृत्त सरकार के औसत परिलब्धियों के आधार पर पेंशन की गणना के तरीके से संबंधित था।

कर्मचारी। पेंशन की गणना के लिए फॉर्मूले के उदारीकरण से पहले, कर्मचारी की सेवा के पिछले तीस महीनों की औसत परिलब्धियां दिनांकित 25-5-1979 द्वारा बनाई गई थीं।

पेंशन की गणना के लिए उस आधार को प्रदान किया। 1970 की सेवा

द्वारा प्राप्त परिलब्धियों के आधार पर गणना की गई सेवा के अंतिम दस महीनों के दौरान सरकारी कर्मचारी।

इसके अलावा, पेंशन की गणना के लिए एक नई स्लैब प्रणाली थी

पेश किया गया और पेंशन की सीमा बढ़ा दी गई [.] 7. यह देखा जाना चाहिए कि निर्णय ने "परिलब्धियों" की परिभाषा को कम नहीं किया। इसने केवल यह अभिनिर्धारित किया कि यदि पेंशन दी जानी थी

सरकारी कर्मचारी के पिछले दस महीनों के परिलब्धियों के आधार पर गणना की जाती है, 1-4-1979 के बाद, ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो लोग 1-4-1979 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें पिछले छत्तीस महीनों के परिलब्धियों के औसत के आधार पर गणना की गई पेंशन मिलनी चाहिए। अन्य में

शब्दों में, गणना का नियम समान होना चाहिए। न्यायालय ने यह नहीं माना कि जो लोग 1-4-1979 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें उसी वेतन के रूप में माना जाना चाहिए जो उन लोगों के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं जो 1-4-1979 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं।

या पेंशन की गणना के उद्देश्य से 1-4-1979 के बाद।

इसलिए, नकारा मामले के बल पर, याचिकाकर्ता नहीं है

के संदर्भ में पेंशन की गणना के लिए पूछने का अधिकार वेतन जो उन्हें कभी नहीं मिला।

44. कर्नल बी. जे. अक्कारा (सेवानिवृत्त) बनाम। भारत सरकार ने पेंशन से संबंधित सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। जस्टिस आर. वी.एंड्रान ने दो-न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए कहाः

" 20. इस मुद्दे से संबंधित पेंशन से संबंधित सिद्धांत हैंः

अच्छी तरह से व्यवस्थित। वे इस प्रकार हैंः (क) एक वर्ग बनाने वाले पेंशनभोगियों के संबंध में, पेंशन की गणना

अलग-अलग सूत्र से नहीं हो सकता है जिससे एक असमान लागू होता है

1 2 एससीसी 104

6) 11 एस. सी. सी. 709 [एक पूर्व सेवा आंदोलन और ओ. आर. एस.। वी. यूनियन ऑफ डी. आई. ए. एंड ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

केवल इस आधार पर उपचार किया जाए कि कुछ पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं और कुछ

बाद में सेवानिवृत्त हुए। यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति अपने कार्यकाल के समय पेंशन के लिए पात्र है। सेवानिवृत्ति और प्रासंगिक पेंशन योजना बाद में है

संशोधित, वह बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा

तारीख से पेंशन की गणना के नए सूत्र के अनुसार

जब संशोधन प्रभावी होता है। ऐसी स्थिति में, अतिरिक्त संशोधन के तहत लाभ, उसी वर्ग को उपलब्ध कराया गया

उसे इस आधार पर पेंशनभोगियों से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसने

उस तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए जिस दिन उपरोक्त अतिरिक्त लाभ मिलता है।

सम्मानित किया गया। (ख) लेकिन एक विशेष रैंक के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सभी सेवानिवृत्त व्यक्ति एक पद नहीं बनाते हैं।

सभी उद्देश्यों के लिए एकल वर्ग। जहाँ गणना योग्य परिलब्धियाँ

पेंशन) पेंशनभोगियों के दो समूहों के संबंध में अलग हैं, जो एक ही पद से सेवानिवृत्त हुए, समूह को कम पेंशन मिल रही है

यह तर्क नहीं दे सकते कि उनकी पेंशन समान या समान होनी चाहिए

उस समूह द्वारा प्राप्त पेंशन के लिए जिसकी गणना योग्य परिलब्धि ऊँचा था। दूसरे शब्दों में, पेंशनभोगी जो सेवानिवृत्त होते हैं

समान रैंक को समान पेंशन देने की आवश्यकता नहीं है, जहां उनकी

उनके समय में औसत गणना योग्य परिलब्धि

वेतन में अंतर को देखते हुए सेवानिवृत्ति अलग थी, या विभिन्न वेतनमानों के लागू होने को देखते हुए।

इस आधार पर कि वे समान रूप से स्थित हैं। हालांकि वे सेवानिवृत्त हुए समान श्रेणी, वे "समान वर्ग" या "सजातीय" के नहीं हैं

समूह "। नियोक्ता शुरू करने के लिए वैध रूप से एक कट-ऑफ तिथि तय कर सकता है।

कोई नई पेंशन/सेवानिवृत्ति योजना या किसी को भी बंद करने के लिए

इस प्रकार पेंशनभोगियों के एकल सजातीय वर्ग को विभाजित किया जाता है - दो समूह बनाना और उनके साथ अलग-अलग व्यवहार करना।

(जोर दिया गया)

45. एस. पी. एस. वेन्स (ऊपर) में निर्णय पर निर्भर किया गया है

ईटीशनर। उस मामले में मुद्दा यह था कि क्या अधिकारीमेजर जनरल, जो 1 जनवरी 1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, हो सकते हैं

संशोधित वेतनमान के प्रावधानों का लाभ, हालांकि [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेजर जनरल के पदोन्नति पद के लिए। एक मेजर जनरल हमेशा ब्रिगेडियर के पद पर आसीन अधिकारियों को देय पेंशन की तुलना में अधिक पेंशन प्राप्त करता था, क्योंकि चौथे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर, पेंशन की गणना सेवानिवृत्ति से पहले पिछले दस महीनों के दौरान प्राप्त वेतन के आधार पर की जाती थी। पाँचवें वेतन की सिफारिश की स्वीकृति के साथ एक विसंगति उत्पन्न हुई आयोग ने एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें एक ब्रिगेडियर को मेजर जनरल की तुलना में अधिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलने लगी। द.

सरकार ने 1996 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले मेजर जनरलों की पेंशन में वृद्धि की ताकि उन्हें ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों की तुलना में कम पेंशन न मिले। उस मामले में जिस असमानता का उल्लेख किया गया था, वह निर्णय के निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट है:

केवल इस सवाल पर कि क्या सेना में मेजर जनरल और रक्षा बलों की दो अन्य शाखाओं में समकक्ष रैंक के अधिकारी, जो 1.1.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें वेतनमान के संशोधन के लाभ से वैध रूप से बाहर रखा गया है। पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ

विशेष सेना निर्देश 2/एस/1998 के आधार पर।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दो लोगों को देय पेंशन में ऐसी असमानता

1 जनवरी 1996 से पहले या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वालों के आधार पर मेजर जनरल के समान पद पर आसीन अधिकारियों के समूहों ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया। इसी पृष्ठभूमि में इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि मेजर जनरल के पद पर सभी पेंशनभोगियों का वेतन और रक्षा सेवाओं की अन्य दो शाखाओं में इसके समकक्ष पद को सैद्धांतिक रूप से दी गई दर पर तय किया जाना चाहिए।

1 जनवरी, 1996 से वेतनमान में संशोधन के बाद और उसके बाद रिट याचिका की तारीख से संभावित प्रभाव से पेंशन लाभों की गणना करने के लिए उसी रैंक के समान अधिकारी। इस प्रकार एस. पी. एस. वेन्स (ऊपर) में निर्णय में एक पूरी तरह से अलग तथ्यात्मक स्थिति शामिल थी। ब्रिगेडियर का पद मेजर जनरल के पद के लिए एक पूरक पद था। एक विसंगति पैदा हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप ब्रिगेडियर का वेतन और पेंशन मेजर जनरलों की तुलना में अधिक था। मेजर जनरल की पेंशन में वृद्धि करके, उन लोगों के बीच अंतर किया गया जो 1 जनवरी 1996 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त हुए थे। इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया।

46. कैनवास जिसे इनमें पार करने की कोशिश की जाती है

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही भारतीय पूर्व सेवा आंदोलन और ओ. आर. एस. के क्षेत्र में आती है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जो कार्यकारी नीति के लिए आरक्षित है। हमें याद रखना चाहिए कि निर्णय नीति के विकल्प के रूप में काम नहीं कर सकता है। लोन फुलर ने निर्णय में आने वाले सार्वजनिक नीति के मुद्दों को "बहु-केंद्रित समस्याओं" के रूप में वर्णित किया, यानी वे ऐसे प्रश्नों का मूल्यांकन करते हैं जिनमें "परिवर्तनशील और परिवर्तनशील विषयों की बहुलता" होती है।

इंटरलॉकिंग कारक, जिनमें से प्रत्येक पर निर्णय एक अन्य सभी पर निर्णय "। फुलर के अनुसार, ऐसे मामलों को निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अधिक उपयुक्त रूप से संबोधित किया जाता है क्योंकि उनमें बातचीत शामिल होती है।

व्यापार-बंद और सर्वसम्मति से संचालित निर्णय लेने की प्रक्रिया। फुलर तर्क देता है

कि निर्णय उन प्रश्नों के लिए अधिक उपयुक्त है जिनके परिणामस्वरूप "या तो" या "उत्तर मिलते हैं। 20 नीति के अधिकांश प्रश्नों में न केवल तकनीकी और आर्थिक कारकों के जटिल विचार शामिल होते हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए निर्णय लेने के बजाय लोकतांत्रिक सुलह सबसे अच्छा उपाय है। इसके अलावा, विशुद्ध नीति के मामलों को हल करने के लिए न्यायाधीशों पर बढ़ती निर्भरता अन्य राजनीतिक अंगों की भूमिका को कम करती है सामाजिक और राजनीतिक नीति के विवादित मुद्दों को हल करने के लिए, जिनके लिए एक लोकतांत्रिक संवाद की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह न्यायालय उन नीतियों को दरकिनार करने से हिचकिचाएगा जो संवैधानिक अधिकारों को बाधित करती हैं। बल्कि यह उस कार्य की एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करने के लिए है जो एक अदालत लोकतंत्र में करती है। ओ. आर. ओ. पी. नीति को केवल इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना या मनमौजी है। इस संबंध में, अब हम केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का मूल्यांकन करते हैं।

47. केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई ओ. आर. ओ. पी. नीति

इस प्रकार निर्धारित करता हैः

ये लाभ 1 जुलाई 2014 से प्रभावी होंगे।

((i)

पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन इस आधार पर फिर से तय की जाएगी कि

((ख)

कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन का;

(iii) सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन की रक्षा की जाएगी; और

( ) 0 ((iv)

भविष्य में हर पाँच के बाद पेंशन को फिर से तय किया जाएगा।

वर्षों से।

48. पेंशन और कट-ऑफ तिथियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

((i)

समान रैंक रखने वाले सभी पेंशनभोगी सभी के लिए नहीं हो सकते हैं। उद्देश्य एक समरूप वर्ग बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एम. ए. सी. पी. और ए. सी. पी. को देखते हुए सिपाहियों के बीच मतभेद मौजूद हैं।

20 फुलर, एल. एल., और विंस्टन, के. आई. (1978)। निर्णय के रूप और सीमाएँ। हार्वर्ड लॉ रिव्यू, 92 (2), 353-409।

योजनाएं। कुछ सिपाहियों को अधिक वेतन मिलता है

रैंक वाले कर्मचारी;

((ख)

पेंशन योजना में एक नए तत्व का लाभ हो सकता है

संभावित रूप से लागू किया जाए। हालांकि, यह योजना एक कट-ऑफ तिथि के आधार पर एक समरूप समूह को विभाजित नहीं कर सकती है।

(iii)

नाकाड़ा (ऊपर) में संविधान पीठ का निर्णय

एक श्रेणी एक पेंशन नियम को पढ़ने के लिए इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह केवल यह माना गया था कि पेंशन की गणना का वही सिद्धांत एक समान राशि वाले व्यक्ति पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

वर्ग; और

((iv) यह कोई कानूनी आदेश नहीं है कि समान रैंक रखने वाले पेंशनभोगियों को समान राशि की पेंशन दी जानी चाहिए। अलग-अलग लाभ जो कुछ कर्मियों पर लागू हो सकते हैं जो देय पेंशन को भी प्रभावित करेंगे, उन्हें बाकी कर्मियों के बराबर करने की आवश्यकता नहीं है।

49. उपरोक्त सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हम ओ. आर. ओ. पी. सिद्धांत में संस्थागत दुर्बलता पाते हैं जैसा कि द्वारा परिभाषित किया गया हैनिम्नलिखित कारणों से दिनांक 7 नवंबर 2015 का एकीकरणः

ओ. आर. ओ. पी. की परिभाषा सभी पर समान रूप से लागू होती है।

((i)

सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना पेंशनभोगी। यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि पेंशन की समीक्षा पेंशनभोगियों के एक वर्ग के लिए 'स्वचालित रूप से' और 'समय-समय पर' की जाती है।

पेंशनभोगियों के दूसरे वर्ग के लिए; कट-ऑफ तिथि का उपयोग केवल निर्धारित करने के उद्देश्य से किया जाता है।

((ख)

पेंशन की गणना के लिए आधार वेतन। जबकि 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए, अंतिम प्राप्त वेतन का उपयोग पेंशन की गणना करने के लिए किया जाता है, जो 2013 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके लिए 2013 में प्राप्त औसत वेतन का उपयोग किया जाता है। वर्दी के बाद से

पेंशन की गणना के उद्देश्य से अंतिम प्राप्त वेतन का आवेदन पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को एक स्थिति में डाल देगा

इसका नुकसान यह है कि केंद्र सरकार ने पेंशन की गणना के लिए आधार वेतन बढ़ाने का नीतिगत निर्णय लिया है। निस्संदेह, केंद्र सरकार के पास कई नीतिगत विकल्प थे जिनमें न्यूनतम,

अधिकतम या माध्य या औसत। केंद्र सरकार ने औसत को अपनाने का फैसला किया।

औसत भारतीय एक्स सर्विस मूवमेंट और ओआरएस से नीचे के व्यक्ति। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

औसत अंक तक लाए गए थे जबकि औसत से ऊपर आने वालों को संरक्षित किया गया था। इस तरह का फैसला गलत है।

नीतिगत विकल्पों के दायरे में;

(iii)

नाकाड़ा (ऊपर) और एस. पी. एस. वैन्स (ऊपर) में लिए गए निर्णयों में पढ़ें, उसी के अधिकारियों को देय अलग-अलग पेंशन 1 जुलाई 2014 से पहले और बाद में या तो एम. ए. सी. पी. या पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग-अलग आधार वेतन के कारण सेवानिवृत्त होने वाले पद को मनमाना नहीं माना जा सकता है; और

(iv) चूंकि ओ. आर. ओ. पी. की परिभाषा मनमाना नहीं है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है।

यह निर्धारित करने की कवायद शुरू करने के लिए कि क्या योजना के वित्तीय निहितार्थ नगण्य हैं या विशाल।

50. 7 नवंबर 2015 के संचार के संदर्भ में, ओ. आर. ओ. पी. का लाभ 1 जुलाई 2014 से प्रभावी होना था। संचार के पैरा 3 (v) में कहा गया है कि "भविष्य में, पेंशन हर पाँच साल में फिर से तय की जाएगी"। इस तरह की कवायद संभवतः वर्तमान कार्यवाही के लंबित होने के कारण पांच साल की समाप्ति के बाद की जानी बाकी है।

51. हम तदनुसार आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि

7 नवंबर, 2015 को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद 1 जुलाई, 2019 से पुनर्निर्धारण की कवायद शुरू की जाएगी। सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को देय बकाया की गणना की जाएगी और तदनुसार तीन महीने की अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा।

52. याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। 53. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

लिखित

याचिका का निपटारा किया गया।

निधि जैन

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)